रजिस्ट्री सं. डी.—(डी एन)—73 REGISTERED NO. D—(DN)—73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 40 नई दिल्ली, शनिवार, अक्तूबर 6, 1984 (आश्विन 14, 1906)
No. 40] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 6, 1984 (ASVINA 14, 1906)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय सूची

	पृष्ठ
भाग I—खण्ड 1—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	733
भाग I—खण्ड 2—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	1259
भाग I—खंड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गये संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	25
भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियां आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	1677
खण्ड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*
खण्ड 1-क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	*
खण्ड 2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के प्रतिवेदन तथा रिपोर्टें	*
भाग II—खंड 3—उप-खंड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपलब्धियां आदि भी शामिल हैं)	2575
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं	2917
भाग II—खण्ड 3—उप-खंड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी में प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)	
भाग II—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा किए गए सांविधिक नियम और आदेश	337
भाग III—खंड 1—उच्चतम न्यायालय, महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेलवे प्रशासनों, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	22851
भाग III—खंड 2—पैटेन्ट कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गयी अधिसूचनाएं और नोटिस	825
भाग III—खण्ड 3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	163
भाग III—खण्ड 4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनायें आदेश, विज्ञापन, और नोटिस शामिल हैं	2675
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्ति और गैर-सरकारी निकायों द्वारा विज्ञापन और नोटिस	157
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़े को बताने वाला अनुपूरक	

*पृष्ठ संख्या प्राप्त नहीं हुई।

CONTENTS

PAGE

PART I—SECTION 1—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) .. 733

PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) 1259

PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence 25

PART I—SECTION 4—Notification regarding Appointments, Promotions, etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence 1677

PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations .. .. *

PART II—SECTION 1-A—Authoritative text in the Hindi Language of Acts, Ordinances and Regulations .. .. *

PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills .. .. .. *

PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (i)—General Statutory Rules (including orders, by-laws, etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India, (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) .. 2575

PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) 2917

PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by General Authorities (other than Administrations of Union Territories) .. ..

PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence . 33

PART III—SECTION 1—Notifications issued by the Supreme Court, Auditor General, Union Public Service Commission, Railways Administrations, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India 2285

PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, Calcutta .. 825

PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners 163

PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies 26

PART V—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies .. . 15

PART V—Supplement showing statistics of Birth and Deaths etc. both in English and Hindi ..

*Folio Nos not received.

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

योजना आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 30 अगस्त 1984

सं० ओ-15011/1/82-एस० ई० आर०—योजना आयोग के दिनांक 6 अगस्त, 1982 के संकल्प सं० ओ-15011/1/80-एस० ई० आर० के पैरा 1 और दिनांक 2 फरवरी, 1983 की समसंख्यक अधिसूचना की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।

2. "समिति का गठन" अब निम्न प्रकार से पढ़ा जाए :

गठन

अध्यक्ष

1. प्रो० एस० चक्रवर्ती, दिल्ली विश्वविद्यालय।

सदस्य

2. डा० सी० एच० हनुमन्त राव, सदस्य योजना आयोग।

3. डा० ए० एम० खुसरो, सदस्य योजना आयोग।

4. डा० डी० डी० नरूला, सदस्य सचिव, भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद, 35 फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली।

5. प्रो० गौतम माथुर, निदेशक, अनुप्रयुक्त मानवशक्ति अनुसंधान संस्थान, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, रिंग रोड, नई दिल्ली।

6. डा० वाई० के० अलघ, अध्यक्ष, औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो, लोक नायक भवन, नई दिल्ली।

7. डा० मूनीस रजा, निदेशक, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान 17 बी, श्री अरविन्द मार्ग, नई दिल्ली।

8. प्रो० पी० सी० जोशी, निदेशक, आर्थिक संवृद्धि संस्थान, दिल्ली।

9. प्रो० जी० एस० भल्ला, अध्यक्ष, कृषि मूल्य आयोग, कृषि भवन, नई दिल्ली।

10. डा० बी० के० चेट्टी, भारतीय सांख्यिकीय संस्थान, 7 शहीद जीत सिंह मार्ग, सनमनवाल मार्ग नई दिल्ली।

11. श्री एस०के०गोविल, परामर्शदाता (वित्तीय संसाधन), योजना आयोग

12. डा० एम० पी० गुप्त, सलाहकार (भावी योजना), योजना आयोग।

13. डा० (श्रीमती) आर० तामराजाक्षी, सलाहकार (श्रम, रोजगार और जनशक्ति), योजना आयोग।

14. डा० पी० सी० जोशी, सलाहकार (अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र), योजना आयोग।

15. श्री नितिनदेसाई, सलाहकार (परियोजना मूल्यांकन प्रभाग), योजना आयोग।

16. डा० पी० डी० मुखर्जी, सलाहकार (वित्तीय संसाधन), योजना आयोग।

17. श्री एम० सुन्दरराजन, संयुक्त सचिव (राज्य योजना), योजना आयोग।

सदस्य सचिव

18. डा० बी० जी० भाटिया, सलाहकार (एम० पी० डी०), योजना आयोग।

3. शेष संकल्प में कोई परिवर्तन नहीं है।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि अधिसूचना की प्रति सभी संबंधित व्यक्तियों तक पहुंचा दी जाए और इसे सामान्य सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

क० सी० अय्यर, निदेशक (प्रशासन)

उद्योग मंत्रालय

औद्योगिक विकास विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 1 अगस्त 1984

संकल्प

सं० 07011/3/84-सार्ट—भारत सरकार ने नमक के केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन करने का निश्चय किया है। पुनर्गठित केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड (जो इसके बाद बोर्ड कहलायेगा) का गठन निम्नानुसार होगा :—

अध्यक्ष

1. श्री एम० वी० पी० पट्टाभि रामाराव, उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री।

सदस्य

2. श्री दिग्विजय सिंह, उपमंत्री (पर्यावरण)।

3. श्री जी० वेंकटरमणन, संयुक्त सचिव, उद्योग मंत्रालय, "नमक" के प्रभारी।

4. तकनीकी विकास के महानिदेशालय का एक प्रतिनिधि।

5. निदेशक, सेंट्रल साल्ट एण्ड मरीन केमिकल्स रिसर्च इन्स्टीट्यूट, भावनगर।

6. श्रम मंत्रालय, मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) का एक प्रतिनिधि।

7. निदेशक (यातायात परिवहन) रेल मंत्रालय।

8. सलाहकार (पोषक आहार) स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय।

9. श्री एम० सी० शेलट उद्योग आयुक्त, गुजरात सरकार।

10. सचिव, उद्योग विभाग, तमिलनाडु सरकार।

11. सचिव, उद्योग विभाग, राजस्थान सरकार।

12. सचिव, उद्योग विभाग, आन्ध्र प्रदेश।

13. असम सरकार का एक प्रतिनिधि।

14. बिहार सरकार का एक प्रतिनिधि।

राज्यों के नमक उत्पादक

गुजरात

15. श्री तन्ना, अध्यक्ष, इंडियन साल्ट मैन्यु०, एसोसिएशन, बम्बई

16. श्री कुमुदभाई शाह,
नमक उत्पादक, ध्रंगद्रा (गुजरात चैम्बर आफ कामर्स)।

तमिलनाडु।

17. श्री एम० एम० सुब्रामणियन, तूतीकोरिन साल्ट एंड मेराइन कैमिकल्स लिमिटेड, तूतीकोरिन।

18. श्री सूर्यनारायण राव,
आन्ध्र प्रदेश साल्ट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन,
विशाखापट्टनम।

पश्चिम बंगाल

19. श्री समरेन्द्र दत्ता,
प्रबंध-निदेशक, मैसर्स बंगाल साल्ट कंपनी,
12-बी, नेताजी सुभाष रोड, कलकत्ता-7000021।

महाराष्ट्र।

20. श्री ए० एच० भिवण्डीवाला,
नमक उत्पादन, 583, चीरा बाजार,
बम्बई-400002।

उड़ीसा

21. प्रबंध निदेशक,
मैसर्स ईस्ट कोस्ट साल्ट एंड केमिकल इण्ड० लिमिटेड,
भुवनेश्वर (उड़ीसा)।

राजस्थान

22. अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक,
हिन्दुस्तान साल्टस लिमिटेड, जयपुर।

नमक उत्पादक सहकारी समितियों का ज्ञान एवं अनुभव रखने वाले व्यक्ति।

23. श्री एम० एस० सेल्वाराजन, अध्यक्ष,
अरुमुगानेरी साल्ट वर्कर्स को-आपरेटिव प्रोडक्शन एण्ड सेल सोसायटी लिमिटेड, अरुमुगानेरी।

24. श्री बाजूभाई मेहता, अध्यक्ष,
गुजरात राज्य मिश्र उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड,
डेरासर रोड, सुरेन्द्रनगर, गुजरात।

अल्कली उत्पादकों का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति

25. श्री आर० बी० स्वामी, प्रबंध निदेशक,
एम० सी० आई० सी०, मेत्तूर डेम।

सार्वजनिक कार्यों और श्रमिक समस्याओं का ज्ञान और अनुभव रखने वाले व्यक्ति।

26. श्री केशव डालमिया सचिव,
भारत चैम्बर आफ कामर्स,
28, हेमन्त बसु सरानी,
कलकत्ता।

27. डा० के० रमेश,
798, पांचवां मेन रोड,
विजय नगर, बंगलौर।
(संसद सदस्यों के नामांकन की अधिसूचना बाद में की जायेगी)

सदस्य सचिव

28. श्री पी० सुब्रामणियन, नमक आयुक्त।

टिप्पणी :—जब कभी आवश्यक हो, जहाजरानी, और परिवहन तथा वाणिज्य एवं राज्य व्यापार निगम के प्रतिनिधियों को बोर्ड की बैठक में भाग लेने के लिये आमंत्रित किया जा सकता है।

संसद के सभी सदस्य जो नमक संबंधी क्षेत्रीय परामर्शदायी बोर्ड के सदस्य हैं, बोर्ड की बैठकों में भाग ले सकते हैं।

3. केन्द्रीय परामर्शदायी बोर्ड का कार्य भारत सरकार को नमक उपकर अधिनियम, 1953 की धारा 3 के अन्तर्गत नमक उपकर वसूली करने के प्रशासन पर परामर्श देना तथा नमक उद्योग के विकास के लिये सामान्य उपायों की सिफारिश करना होगा, जैसे:—

(1) अनुसंधान केन्द्रों, आदर्श फार्म तथा नमक कारखाने की स्थापना तथा रख-रखाव।

(2) नमक के ग्रेड निर्धारित करना एवं इसकी किस्म में सुधार करना।

(3) निर्यात का विकास करना।

(4) नमक उत्पादकों में सहकारी प्रयत्नों को बढ़ावा देना और प्रोत्साहन देना।

(5) नमक उद्योग का विकास करने से संबंधित अन्य मामले।

(6) नमक उद्योग में नियुक्त श्रमिकों के कल्याण कार्य को बढ़ावा देना।

4. (क) बोर्ड की अवधि 1-8-1984 से 3 वर्ष होगी।

(ख) यदि किसी गैर-सरकारी सदस्य का स्थान रिक्त हो जाता है तो केन्द्रीय सरकार बोर्ड की शेष अवधि के लिये रिक्त स्थान भरने हेतु नया नामांकन करेगी।

5. (क) यदि कोई नामांकित सदस्य बैठक में भाग लेने की स्थिति में नहीं है तो वह बोर्ड के अध्यक्ष को लिखित में तथ्य से अवगत करायेगा।

(ख) बोर्ड की बैठक के लिये सदस्यों की संख्या कम से कम तीन होगी।

(ग) बोर्ड की बैठक अथवा बोर्ड द्वारा विधिवत रूप से गठित की गई उप समिति में भाग ले रहा प्रत्येक गैर सरकारी सदस्य नियमों के अंतर्गत ग्राह्य अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर स्वीकृत यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता प्राप्त करने का पात्र होगा।

(घ) नमक आयुक्त, जयपुर गैर सरकारी सदस्यों के यात्रा भत्ता व दैनिक भत्तों के बिलों पर प्रति हस्ताक्षर करने के नियंत्रक अधिकारी होंगे।

(ङ) गैर सरकारी सदस्य बोर्ड के अध्यक्ष को पत्र लिखकर अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है।

(च) यदि गैर सरकारी सदस्य भारत छोड़ता है तो वह भारत छोड़ने से पूर्व बोर्ड के अध्यक्ष को अपने प्रस्थान की तारीख और भारत को वापिस आने की संभावित तारीख के संबंध में सूचित करेगा, और यदि उसका 6 महीने से अधिक अवधि के लिये भारत से अनुपस्थित रहने का इरादा हो तो वह अपना त्यागपत्र देगा। यदि ऐसा कोई सदस्य उपर्युक्त का पालन किये बिना भारत से बाहर जाता है तो यह समझा जायेगा कि उसने भारत से प्रस्थान की तारीख से त्यागपत्र दे दिया है।

(छ) अध्यक्ष, सदस्य ने अपना पद रिक्त कर दिया है, यह घोषित करेगा:—

(1) यदि वह दिवालिया हो जाता है, या

(2) यदि वह किसी अपराध के लिये दंडित किया जाता है जो केन्द्रीय सरकार के विचार में आचरण भ्रष्टता का काम है, या

(3) यदि वह बोर्ड के अध्यक्ष से अनुपस्थित की छुट्टी लिये बिना बोर्ड की लगातार तीन बैठको मे अनुपस्थित रहता है, या

(4) यदि केन्द्रीय सरकार की राय मे, उसका बोर्ड का सदस्य बना रहना अवाछनीय है।

(ज) बोर्डों के सचिव, बोर्ड के अध्यक्ष की स्वीकृति से नमक के लिये क्षेत्रीय सलाहकार बोर्डों के एक या एक से अधिक गैर सरकारी सदस्यो को या अन्य व्यक्तियो को बोर्ड की किसी भी बैठक मे भाग लेने के लिये आमन्त्रित कर सकते है, और ऐसा सदस्य या व्यक्ति धारा (ङ) के अधीन उल्लिखित यात्रा भत्ता आदि का हकदार होगा।

(झ) अध्यक्ष द्वारा निर्धारित स्थान और समय पर बोर्ड की बैठक होगी।

(ञ) भारत मे उपस्थित प्रत्येक सदस्य को प्रत्येक साधारण बैठक के लिये बैठक होने से कम से कम 15 दिन पहले समय और स्थान के बारे मे सूचना दी जायेगी और प्रत्येक सदस्य को उस बैठक मे निबटाये जाने वाले कार्य की सूची दी जायेगी।

विहित है कि अध्यक्ष द्वारा बुलाई गई आपात बैठक मे इस प्रकार की सूचना आवश्यक नही होगी।

(ट) किसी भी कार्य पर, जो कार्य सूची मे नही है, बिना सबधित बोर्ड के अध्यक्ष की पूर्वानुमति से विचार नही किया जायेगा।

(ठ) अध्यक्ष जिस बोर्ड की बैठक मे उपस्थित है, उसकी अध्यक्षता करेगा। यदि अध्यक्ष किसी बैठक म अनुपस्थित है तो उपस्थित सदस्य अपने मे से किसी एक को सभा की अध्यक्षता करने के लिये चुनेगे और इस सभा मे ऐसा चुना हुआ सदस्य अध्यक्ष की सभी शक्तियो का प्रयोग करेगा।

(ड) बोर्ड की बैठक मे प्रत्येक प्रश्न पर निर्णय उपस्थित और उस प्रश्न पर मत देने वाले सदस्यो के बहुमत म किया जायेगा, मतो के बराबर होने पर अध्यक्ष एक अतिरिक्त मत देगा।

(ढ) बोर्ड की प्रत्येक बैठक की कार्यवाही भारत मे उपस्थित सभी सदस्यो को परिचालित की जायेगी और तत्पश्चात कार्यवृत्त पुस्तक मे लिखा जायेगा, जो स्थायी अभिलेख के लिये रखी जायेगी। प्रत्येक बैठक की कार्यवाही के अभिलेख पर बोर्ड के अध्यक्ष के हस्ताक्षर होगे।

(ण) किसी क्षेत्र मे उपकर से व्यय किये जाने वाले व्यय प्रस्तावो पर पहले क्षेत्रीय बोर्ड द्वारा विचार किया जायेगा। इसके लिए प्रस्ताव का ब्योरा सहित प्रारम्भिक आकलन और अन्य आवश्यक आकडो सहित इसकी अनुमानित लागत क्षेत्र अधिकारियो द्वारा तैयार की जायेगी। क्षेत्रीय बोर्ड की सिफारिश सहित प्रस्तावो पर तब केन्द्रीय बोर्ड द्वारा विचार किया जायेगा।

एक लाख रुपये तक का प्रत्येक विकासात्मक कार्य और श्रमिक कल्याण कार्य, केन्द्रीय बोर्ड की अतिम सिफारिशो के लिये भेजे बिना ही क्षेत्रीय बोर्डों द्वारा स्वीकार किया जा सकेगा।

(त) केन्द्रीय बोर्ड की सिफारिशे स्वीकृति के लिये केन्द्रीय सरकार को भेजी जायेगी, उसके बाद विस्तृत अनुमान तैयार किये जायेगे। अनुमान सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत होगे।

(थ) बोर्ड की कार्य या कार्यवाही को किसी रिक्ति के होने पर या बोर्डो के गठन मे त्रुटि को आधार बना कर जैसी भी स्थिति हो चुनौती नही दी जायेगी।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस सकल्प की सभी राज्य सरकारो, भारत सरकार के सभी मंत्रालयो, योजना आयोग, मत्रिमडल सचिवालय और प्रधान मंत्री सचिवालय को भेज दिया जाये।

2. यह भी आदेश दिया जाता है कि सकल्प को भारत के राजपत्र के भाग 1 खंड 1 में प्रकाशित किया जाये।

जी० वकटरमणन्, सयुक्त सचिव

इस्पात और खान मंत्रालय

नियमावली

नई दिल्ली, दिनांक 6 अक्तूबर 1984

स ए-12025/2/84-एम.2—निम्नलिखित रिक्त पदों को भरने के लिए 1985 म संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षा की नियमावली सिंचाई मंत्रालय की सहमति से सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है :—

वर्ग । (भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण, इस्पात और खान मत्रालय के पद)

(1) भू-विज्ञानी (कनिष्ठ) ग्रुप क और

(2) सहायक भू-विज्ञानी ग्रुप ख

वर्ग ।। (केंद्रीय भू-जल बोर्ड, सिचाई मंत्रालय के पद)
(1) कनिष्ठ जल भू-विज्ञानी ग्रुप "क" (2) सहायक जल भू-विज्ञानी ग्रुप "ख"

1. उम्मीदवार उपर्युक्त पदवर्गों मे से किसी एक या दोनों के लिए प्रतियोगी हो सकता है। उसे अपने आवेदन-पत्र मे उन पदों का स्पष्ट रूप से उल्लेख करना चाहिए जिनके वह वरीयता क्रम मे विचार किए जाने का इच्छुक है।

जिस पद वर्ग/वर्गों के लिए उम्मीदवार परीक्षा में बैठ रहे है उनके सम्बन्ध मे उम्मीदवार द्वारा निर्दिष्ट वरीयताओं के परिवर्तन सम्बन्धी किसी अनुरोध पर तब तक विचार नही किया जाएगा जब तक कि इस प्रकार के परिवर्तन से सम्बद्ध अनुरोध रोजगार समाचार मे लिखित परीक्षा के परिणाम के प्रकाशन की तारीख के 30 दिन के अन्दर या उससे पहले संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय मे प्राप्त न हो जाए।

2. उक्त परीक्षा के परिणाम के आधार पर नियुक्तियां शुरू मे अस्थायी रूप मे की जायेगी। जैसे ही स्थायी रिक्तियां होंगी उम्मीदवार अपनी बारी मे स्थायी रूप मे नियुक्त कर दिये जायेगे।

3. इस परीक्षा के परिणाम के आधार पर भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या आयोग द्वारा जारी किए गए नोटिस में निर्दिष्ट की जाएगी। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियां के उम्मीदवारों के लिए रिक्तियों के आरक्षण सरकार द्वारा निर्धारित रूप मे किए जाएगें।

4. आयोग द्वारा यह परीक्षा इन नियमो के परिशिष्ट 1 मे निर्धारित रीति से आयोजित की जाएगी।

परीक्षा कब और कहां होगी, यह आयोग द्वारा निश्चित किया जाएगा।

5. कोई उम्मीदवार या तो :—

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) नेपाल की प्रजा हो, या

(ग) भूटान की प्रजा हो, या

(घ) भारत में स्थायी निवास के इरादे से 1 जनवरी, 1962 से पहले भारत आया हुआ तिब्बती शरणार्थी हो, या

(ङ) भारत में स्थायी निवास के इरादे से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, कीनिया, उगांडा तथा संयुक्त गणराज्य टंजानिया (भूतपूर्व टंगानीका और जंजीबार) के पूर्वी अफ्रीकी देशों या जाम्बिया, मलावी, जेरे, इथियोपिया और वियतनाम से प्रव्रजन कर आया हुआ मूलतः भारतीय व्यक्ति हो।

किन्तु शर्त यह है कि उपर्युक्त वर्ग (ख), (ग), (घ) और (ङ) से सम्बद्ध उम्मीदवार को सरकार ने पात्रता प्रमाण-पत्र प्रदान किया हो।

जिस उम्मीदवार के मामले में पात्रता प्रमाण-पत्र आवश्यक हो, उसे परीक्षा में प्रवेश दिया जा सकता है; किन्तु उसे नियुक्ति प्रस्ताव केवल तभी दिया जा सकता है जब भारत सरकार द्वारा उसे आवश्यक पात्रता प्रमाण-पत्र जारी कर दिया गया हो।

6. (क) इस परीक्षा के उम्मीदवार की आयु 1 जनवरी, 1985 को 21 वर्ष हो चुकी हो किन्तु 30 वर्ष पूरी न हुई हो अर्थात् उसका जन्म 2 जनवरी, 1955 से पहले और 1 जनवरी, 1964 के बाद न हुआ हो।

(ख) यदि निम्नलिखित वर्गों के सरकारी कर्मचारी नीचे के कालम में 1 में उल्लिखित किसी विभाग में नियोजित हैं और यदि वे कालम-II में उल्लिखित समरूपी पद (पदों) हेतु आवेदन करते हैं उनके मामले में ऊपरी आयु सीमा में अधिकतम 7 वर्ष की छूट दी जाएगी :—

कालम I	कालम II
भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण	भूविज्ञानी (कनिष्ठ), ग्रुप 'क' सहायक भूविज्ञानी, ग्रुप 'ख'
केन्द्रीय भू जल बोर्ड	कनिष्ठ जल-भूविज्ञानी ग्रुप 'क' सहायक जल-भूविज्ञानी ग्रुप 'ख'

(ग) निम्नलिखित स्थितियों में ऊपर निर्धारित ऊपरी आयु सीमा में और छूट दी जाएगी :—

(1) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति का हो तो अधिक से अधिक पांच वर्ष तक;

(2) यदि उम्मीदवार भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान (अब बंगला देश) से वस्तुतः विस्थापित व्यक्ति है और 1 जनवरी, 1964 और 25 मार्च, 1971 के बीच की अवधि के दौरान प्रत्यावर्तित होकर भारत आ गया था, तो अधिक से अधिक तीन वर्ष तक;

(3) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति का है और भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान (अब बंगला देश) से वस्तुतः विस्थापित व्यक्ति है तथा 1 जनवरी, 1964 से 25 मार्च, 1971 के बीच की अवधि के दौरान प्रत्यावर्तित होकर भारत आ गया था, तो अधिक से अधिक आठ वर्ष तक;

(4) यदि उम्मीदवार अक्तूबर, 1964 के भारत श्रीलंका करार के अधीन 1 नवम्बर, 1964 को या उसके बाद वस्तुतः प्रत्यावर्तित हुआ हो या होकर आया या आने वाला भारत मूलक व्यक्ति हो तो अधिक से अधिक तीन वर्ष;

(5) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन-जाति का हो और अक्तूबर, 1964 के भारत-श्रीलंका करार के अधीन 1 नवम्बर, 1964 को या उसके बाद वस्तुतः प्रत्यावर्तित हुआ या होकर आया या आने वाला भारत मूलक व्यक्ति हो तो अधिक से अधिक आठ वर्ष;

(6) यदि उम्मीदवार भारत मूलक व्यक्ति हो और उसने कीनिया, उगांडा और तंजानिया संयुक्त गणराज्य (भूतपूर्व टांगानिया तथा जंजीबार) से प्रव्रजन किया हो या जांबिया, मलावी, जेरे और इथियोपिया से प्रत्यावर्तित हो तो अधिक से अधिक तीन वर्ष;

(7) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति का है और भारत मूल का वास्तविक प्रत्यावर्तित व्यक्ति है तथा कीनिया, उगांडा तथा संयुक्त गणराज्य तंजानिया (भूतपूर्व टांगानिका तथा जंजीबार) से प्रव्रजन कर आया है या जाम्बिया, मलावी, जेरे तथा इथियोपिया से भारत मूल का प्रत्यावर्तित व्यक्ति है तो अधिक से अधिक 8 वर्ष;

(8) यदि उम्मीदवार बर्मा से 1 जून, 1963 को या उसके बाद वस्तुतः प्रत्यावर्तित होकर आया भारत मूलक व्यक्ति हो तो अधिक से अधिक तीन वर्ष;

(9) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन-जाति का हो और बर्मा से 1 जून, 1963 को या उसके बाद वस्तुतः प्रत्यावर्तित होकर आया भारत मूलक व्यक्ति हो तो अधिक से अधिक आठ वर्ष;

(10) शत्रु देश के साथ संघर्ष में या अशांतिग्रस्त क्षेत्र में फौजी कार्रवाई के दौरान विकलांग हुए तथा इसके परिणामस्वरूप निर्मुक्त हुए रक्षा सेवा के कार्मिकों के मामले में अधिक से अधिक 3 वर्ष;

(11) शत्रु देश के साथ संघर्ष में या अशांतिग्रस्त क्षेत्र में फौजी कार्रवाई के दौरान विकलांग हुए तथा इसके परिणामस्वरूप निर्मुक्त हुए रक्षा सेवा के अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जन जातियों के कार्मिकों के मामले में अधिक से अधिक आठ वर्ष;

(12) यदि कोई उम्मीदवार वास्तविक रूप से प्रत्यावर्तित मूलतः भारतीय व्यक्ति (जिसके पास भारतीय पार-पत्र हो) है और ऐसा उम्मीदवार जिसके पास वियत-नाम में भारतीय राजदूतावास द्वारा जारी किया गया आपात् प्रमाण-पत्र है और जो वियतनाम से जुलाई, 1975 से पहले भारत नहीं आया है, तो उसके लिए अधिक से अधिक तीन वर्ष;

(13) यदि उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति का हो और वियतनाम से वस्तुतः प्रत्या-वर्तित या प्रत्यावर्तित होने वाला भारत मूलक व्यक्ति हो (जिसके पास भारतीय पारपत्र हो) और ऐसा भी उम्मीदवार जिसके पास वियतनाम में भारतीय राज-दूतावास द्वारा जारी किया गया आपात प्रमाण-पत्र हो और जो वियतनाम से जुलाई, 1975 के बाद भारत आया हो तो उसके लिए अधिक से अधिक आठ वर्ष तक;

(14) जिन भूतपूर्व सैनिकों और कमीशन प्राप्त अधिकारियों (आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों/अल्पकालिक सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों सहित) ने 1 जनवरी, 1985 को कम से कम 5 वर्ष की सैनिक सेवा की है और जो कदाचार या अक्षमता के आधार पर बर्खास्त या सैनिक सेवा से हुई शारीरिक अपंगता या अक्षमता के कारण कार्यमुक्त न होकर अन्य कारणों से कार्यकाल के समापन पर कार्यमुक्त हुए हैं (इनमें भी सम्मिलित हैं जिनका कार्यकाल 1 जनवरी, 1985 से छः महीनों के अन्दर पूरा होना है) उनके मामले में अधिक से अधिक 5 वर्ष तक;

(15) जिन भूतपूर्व सैनिकों और कमीशन प्राप्त अधिकारियों (आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों अल्पकालीन सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों सहित) ने 1 जनवरी, 1985 को कम से कम पांच वर्ष की सैनिक सेवा की है और जो कदाचार या अक्षमता के आधार पर बर्खास्त या सैनिक सेवा से हुई शारीरिक अपंगता या अक्षमता के कारण कार्यमुक्त न होकर अन्य कारणों से कार्यकाल के समापन पर कार्यमुक्त हुए हैं (इनमें वे भी सम्मिलित हैं जिनका कार्यकाल 1 जनवरी, 1985 से छः महीनों के अन्दर पूरा होना है) तथा जो अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जन जातियों के हैं उनके मामले में अधिक से अधिक दस वर्ष तक;

(16) यदि कोई उम्मीदवार तत्कालीन पश्चिमी पाकिस्तान से वास्तविक विस्थापित व्यक्ति है और भारत में 1 जनवरी, 1971 तथा 31 मार्च, 1973 के बीच की अवधि के दौरान प्रव्रजन कर आया है तो अधिक से अधिक तीन वर्ष तक;

(17) यदि कोई उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति का है और तत्कालीन पश्चिमी पाकिस्तान से वास्तविक विस्थापित व्यक्ति है और भारत में 1 जनवरी, 1971 तथा 31 मार्च, 1973 के बीच की अवधि के दौरान प्रव्रजन कर आया है तो अधिक से अधिक आठ वर्ष तक।

ऊपर की गई व्यवस्था को छोड़कर निर्धारित आयु सीमा में किसी भी हालत में छूट नहीं दी जा सकती।

ध्यान दें :—

(1) जिस उम्मीदवार को नियम 6 (ख) के अधीन परीक्षा में प्रवेश दे दिया गया हो और उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी यदि आवेदन-पत्र भेजने के बाद वह परीक्षा से पहले या परीक्षा देने के बाद सेवा से त्याग-पत्र दे देता है या विभाग/कार्यालय द्वारा उसकी सेवाएं समाप्त कर दी जाती हैं। किन्तु आवेदन-पत्र भेजने के बाद यदि उसकी सेवा या पद से छुटनी हो जाती है तो वह पात्र बना रहेगा।

(2) जो उम्मीदवार अपने विभाग को अपना आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर देने के बाद किसी अन्य विभाग/कार्यालय को स्थानान्तरित हो जाता है वह उस पद (पदों) हेतु विभागीय आयु सम्बन्धी रियायत लेकर प्रतियोगिता स्थानान्तरण न होने पर रहता, बशर्ते कि उसका आवेदन-पत्र विधिवत अनुशंसा सहित उसके मूल विभाग द्वारा अग्रेषित कर दिया गया हो।

7. उम्मीदवार के पास :—

(क) भारत के केन्द्र या राज्य विधान मंडल के अधिनियम द्वारा निगमित किसी विश्वविद्यालय की या संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अधीन विश्वविद्यालय के रूप में मान्य घोषित किसी अन्य शिक्षा संस्थान से भू-विज्ञान या प्रयुक्त भू-विज्ञान या समुद्र भू-विज्ञान में "मास्टर" डिग्री, या

(ख) भारतीय खान विद्यालय धनबाद से प्रयुक्त-भू-विज्ञान में एसोशिएटशिप का डिप्लोमा,

(ग) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से खनिज अन्वेषण में मास्टर डिग्री (केवल भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अधीन के लिए), या

(घ) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से जल-भूविज्ञान में मास्टर डिग्री (केवल केन्द्रीय भू-जल बोर्ड में पदों हेतु)।

टिप्पणी 1 :—यदि उम्मीदवार ऐसी परीक्षा में बैठ चुका हो जिसे उत्तीर्ण कर लेने पर वह परीक्षा में बैठने का पात्र हो जाता है पर अभी उसे परीक्षा के परिणाम की सूचना न मिली हो तो वह भी इस परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए आवेदन कर सकता है। जो उम्मीदवार इस प्रकार की अर्हक परीक्षा में बैठना चाहता हो वह भी आवेदन कर सकता है। ऐसे उम्मीदवारों को, यदि वे अन्यथा पात्र होंगे तो परीक्षा में बैठने दिया जाएगा। परन्तु परीक्षा में बैठने की यह अनुमति अनन्तिम मानी जाएगी और यदि वे अर्हक परीक्षा में उत्तीर्ण होने का प्रमाण जल्दी से जल्दी और हर हालत में 31 जुलाई, 1985 तक प्रस्तुत नहीं करते तो वह अनुमति रद्द की जा सकती है।

टिप्पणी 2:—विशेष परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग ऐसे किसी उम्मीदवार को भी शैक्षिक दृष्टि से योग्य मान सकता है जिसके पास इस नियम में विहित अर्हताओं में से कोई अर्हता न हो, बशर्ते कि उम्मीदवार ने किसी संस्था द्वारा ली गई कोई ऐसी परीक्षा पास कर ली हो जिसका स्तर आयोग के मतानुसार ऐसा हो कि उसके आधार पर उम्मीदवार का परीक्षा में प्रवेश उचित ठहर सके।

टिप्पणी 3 :—जिस उम्मीदवार ने अन्यथा अर्हता प्राप्त कर ली है किन्तु उसके पास विदेशी विश्वविद्यालय की डिग्री है, तो वह भी आयोग को आवेदन कर सकता है और उसे आयोग की विवेचा पर परीक्षा में प्रवेश दिया जा सकता है।

8. उम्मीदवारों को आयोग के नोटिस के पैरा 6 में निर्धारित शुल्क का भुगतान अवश्य करना चाहिए।

9. जो व्यक्ति पहले से ही सरकारी नौकरी में आकस्मिक या दैनिक दर कर्मचारी से इतर स्थायी या अस्थायी हैसियत से या कार्य प्रभारित कर्मचारियों की हैसियत से काम कर रहे हैं या जो सार्वजनिक उद्यमों में कार्यरत हैं उन्हें यह परिवचन (अण्डर टेकिंग) प्रस्तुत करना होगा कि उन्होंने लिखित रूप से अपने कार्यालय/विभाग के प्रधान को सूचित कर दिया है कि उन्होंने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया है।

उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि यदि आयोग को उनके नियोक्ता से उनके उक्त परीक्षा के लिए आवेदन करने/परीक्षा में बैठने से सम्बन्ध अनुमति रोकते हुए कोई पत्र मिलता है तो उनका आवेदन-पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा/उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

10. उक्त परीक्षा में बैठने के लिए उम्मीदवार की पात्रता या अपात्रता के बारे में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा।

11. किसी उम्मीदवार को परीक्षा में तब तक नहीं बैठने दिया जाएगा जब तक कि उसके पास आयोग का प्रवेश प्रमाण-पत्र (सर्टिफिकेट आफ एडमीशन) न हो।

12. जिस उम्मीदवार ने:—

(1) किसी भी प्रकार से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त किया है, अथवा

(2) नाम बदल कर परीक्षा दी है, अथवा

(3) किसी अन्य व्यक्ति से छद्म रूप से कार्य साधन कराया है, अथवा

(4) जाली प्रलेख या ऐसे प्रलेख प्रस्तुत किये हैं जिनमें तथ्यों में फेरबदल किया गया हो, अथवा

(5) गलत या झूठे वक्तव्य दिये हैं या किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया है, अथवा

(6) परीक्षा में उम्मीदवारी के सम्बन्ध में किसी अन्य अनियमित अथवा अनुचित उपायों का सहारा लिया है, अथवा

(7) परीक्षा के समय अनुचित साधनों का प्रयोग किया हो, अथवा

(8) उत्तर पुस्तिकाओं पर असंगत बातें लिखी हों जो अश्लील भाषा में या अभद्र आशय की हों, अथवा

(9) परीक्षा भवन में और किसी प्रकार का दुर्व्यवहार किया हो, अथवा

(10) परीक्षा चलाने के लिए आयोग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को परेशान किया हो या अन्य प्रकार की शारीरिक क्षति पहुंचाई हो, अथवा

(11) उम्मीदवारों को परीक्षा देने की अनुमति देते हुए प्रेषित प्रवेश प्रमाण-पत्र के साथ जारी किसी अनुदेश का उल्लंघन किया हो।

(12) पूर्वोक्त खण्डों में उल्लिखित सभी अथवा किसी भी कार्य को करने का प्रयास किया हो या करने की प्रेरणा दी हो, जैसी भी स्थिति हो, तो उस पर आपराधिक अभियोग (क्रिमिनल प्रोसीक्यूशन) चलाया जा सकता है और इसके साथ ही उसे :—

(क) आयोग उस परीक्षा से जिसका वह उम्मीदवार है बैठने के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है, अथवा

(ख) उसे स्थायी रूप से अथवा एक विशेष अवधि के लिए

(1) आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा अथवा चयन से,

(2) केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने अधीन किसी भी नौकरी से वारित किया जा सकता है, और

(ग) यदि वह सरकार के अन्तर्गत पहले से ही सेवा में है तो उसके विरुद्ध उपयुक्त नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है।

किन्तु शर्त यह है कि इस नियम के अधीन कोई शास्ति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक

(1) उम्मीदवार इस सम्बन्ध में जो लिखित अभ्यावेदन देना चाहे उसे प्रस्तुत करने का अवसर न दिया गया हो, और

(2) उम्मीदवार द्वारा अनुमत समय में यदि कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है, तो उस पर विचार न कर लिया गया हो।

13. जो उम्मीदवार लिखित परीक्षा में आयोग द्वारा अपनी विवक्षा पर निर्धारित न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त कर लेते हैं उन्हें व्यक्तित्व परीक्षण हेतु साक्षात्कार के लिए बुलाया जायेगा।

परन्तु यदि आयोग के मतानुसार सामान्य स्तर के आधार पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों के भरने के लिए इन जातियों के उम्मीदवार पर्याप्त संख्या में व्यक्तित्व परीक्षा के लिए साक्षात्कार हेतु नहीं बुलाये जा सकते हैं तो आयोग उनको स्तर में छूट देकर व्यक्तित्व परीक्षण हेतु साक्षात्कार के लिए बुला सकता है।

14. परीक्षा के बाद आयोग हर एक उम्मीदवार को अन्तिम रूप से दिये गये कुल प्राप्तांकों के आधार पर उनके योग्यता क्रम के अनुसार उनके नामों की सूची बनायेगा और इस परीक्षा का परिणाम निकलने पर जितनी अनारक्षित खाली जगहों पर भर्ती करने का फैसला किया गया हो उतने ही ऐसे उम्मीदवारों को योग्यता क्रम के अनुसार नियुक्त करने के लिए अनुशंसा की जाएगी जो आयोग द्वारा परीक्षा में योग्य पाये गये हों :

परन्तु यदि सामान्य स्तर से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या तक अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जन-जातियों के उम्मीदवार नहीं भरे जा सकते हों, तो आरक्षित कोटा में कमी पूरा करने के लिए आयोग द्वारा स्तर में छूट देकर, चाहे परीक्षा के योग्यता क्रम में उनका कोई भी स्थान हो, नियुक्ति के लिए अनुशंसित किये जा सकेंगे, बशर्ते कि ये उम्मीदवार इन सेवाओं पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त हों।

15. प्रत्येक उम्मीदवार को परीक्षाफल की सूचना किस रूप में और किस प्रकार दी जाये इसका निर्णय आयोग स्वयं करेगा और आयोग उनसे परीक्षा फल के बारे में कोई पत्र व्यवहार नहीं करेगा।

16. परीक्षा के परिणाम के आधार पर नियुक्ति करते समय उम्मीदवार द्वारा आवेदन-पत्र में विभिन्न पदों के लिए बताये गये वरीयता क्रम पर आयोग द्वारा उचित ध्यान दिया जायेगा।

17. परीक्षा में पास हो जाने मात्र से ही नियुक्ति का अधिकार नहीं मिल जाता है इसके लिये आवश्यक है कि सरकार आवश्यकतानुसार जांच करके इस बात से सन्तुष्ट हो जाये कि उम्मीदवार चरित्र तथा पूर्ववृत्त की दृष्टि से इस सेवा में नियुक्ति के लिये हर प्रकार से उपयुक्त है।

18. उम्मीदवार को मानसिक और शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ होना चाहिए और उसमें कोई ऐसा शारीरिक दोष नहीं होना चाहिए जो संबंधित सेवा के अधिकारी के रूप में अपने कर्त्तव्यों को कुशलता पूर्वक निभाने में बाधक हो। यदि विहित डाक्टरी परीक्षा के बाद यथास्थिति सरकार या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निर्धारित की जाये, किसी उम्मीदवार के बारे में यह ज्ञात हुआ कि वह इन शर्तों को पूरा नहीं कर सकता है तो उसकी नियुक्ति नहीं की जायेगी। जिन उम्मीदवारों को नियुक्त

किये जाने की सम्भावना है केवल उन्हीं की डाक्टरी परीक्षा की जायेगी। डाक्टरी परीक्षा के समय उम्मीदवार शुल्क के रूप में रु. 16.00 का भुगतान मेडिकल बोर्ड को करेंगे।

नोट :—निराशा से बचने के लिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन करने से पहले सिविल सर्जन के स्तर के सरकारी चिकित्सा अधिकारी से अपनी डाक्टरी जांच करा लें। उम्मीदवारों को नियुक्ति से पहले जिन डाक्टरी परीक्षाओं से गुजरना होगा उनके स्वरूप के विवरण और मानक परिशिष्ट 2 में दिये गये हैं। विकलांग हुए भूतपूर्व सैनिकों को पद विशेष की अपेक्षाओं के अनुसार स्तर में छूट दी जायेगी।

19. जिस व्यक्ति ने :—

(क) ऐसे व्यक्ति से विवाह या विवाह अनुबन्ध किया है जिसका जीवित पति/पत्नी पहले से है, या

(ख) जीवित पति/पत्नी के रहते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह या विवाह अनुबन्ध किया है, तो वह सेवा में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जायेगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार इस बात से सन्तुष्ट हो जाये कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति तथा विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू होने वाले वैयक्तिक कानून के अनुसार स्वीकार्य है और ऐसा करने के लिए अन्य कारण भी है तो किसी भी व्यक्ति को इस नियम में छूट दी जा सकती है।

20. इस परीक्षा के माध्यम से जिन पदों के सम्बन्ध में भर्ती की जा रही है उनका संक्षिप्त विवरण परिशिष्ट 3 में दिया गया है।

एच एल. अत्रि,
अवर सचिव

परिशिष्ट 1

1. परीक्षा निम्नलिखित योजना के अनुसार आयोजित की जायेगी :—

भाग 1—नीचे पैरा दो में दिये गये विषयों में लिखित परीक्षा।

भाग 2—आयोग द्वारा साक्षात्कार हेतु बुलाये जाने वाले उम्मीदवारों का व्यक्तित्व परीक्षण जो अधिकतम 200 अंकों (देखिये नीचे पैरा 7) का है।।

2. लिखित परीक्षा निम्न विषयों में ली जाएगी :—

विषय	कोड नं०	समय	पूर्णांक
1	2	3	4
(1) सामान्य अंग्रेजी	01	1½ घंटा	100
(2) भू-विज्ञान प्रश्न-पत्र 1, जिसमें सामान्य भू-विज्ञान भू-आकृति विज्ञान, संरचनात्मक भू-विज्ञान, स्तरक्रम विज्ञान और जीवाश्म विज्ञान होंगे	02	3 घंटे	200
(3) भू-विज्ञान प्रश्न-पत्र II, जिसमें क्रिस्टल विज्ञान, खनिज विज्ञान, शैल विज्ञान और भू-रसायन विज्ञान होंगे	03	3 घंटे	200
(4) भू-विज्ञान, प्रश्न-पत्र III जिसमें भारतीय खनिज निक्षेप, खनिज अन्वेषण खनिज अर्थशास्त्र और आर्थिक भू-विज्ञान होंगे	04	2 घंटे	150
(5) जल भू-विज्ञान	05	2 घंटे	150

नोट—वर्ग 1 और वर्ग 2 के अन्तर्गत पदों के लिए प्रतियोगी उम्मीदवारों को उपर्युक्त सभी विषय लेने होंगे। केवल वर्ग 1 के अन्तर्गत पदों के लिये प्रतियोगी उम्मीदवारों को उपर्युक्त (1) से (4) तक के विषय लेने होंगे और केवल वर्ग 2 के अन्तर्गत पदों के लिए प्रतियोगी उम्मीदवारों को (1) से (3) तथा (5) तक विषय लेने होंगे।

3. सभी विषयों की परीक्षा पूर्णतः 'वस्तु परक' (बहु-विकल्प उत्तर) प्रकार की होगी। नमूने के प्रश्नों सहित विवरण के लिए कृपया आयोग के नोटिस के अनुबंध 2 पर "उम्मीदवारों को सूचनार्थ" विवरणिका देखिये।

4. परीक्षा का स्तर और पाठ्यचर्या संलग्न अनुसूची के अनुसार होंगे।

5. उम्मीदवारों को उत्तर अपने ही हाथ से लिखने चाहिए। उन्हें उत्तर लिखने के लिए किसी लिखने वाले की सहायता की अनुमति नहीं दी जायेगी।

6. आयोग परीक्षा के किसी एक या सभी विषयों के लिए अर्हक अंक निश्चित कर सकता है।

7. उम्मीदवार वस्तुपरक प्रश्न पत्रों (परीक्षण पुस्तिकाओं) का उत्तर देने के लिए केलकुलेटरों का प्रयोग नहीं कर सकते। अतः वे उन्हें परीक्षा भवन में न लाएं।

8. व्यक्तित्व परीक्षण करते समय उम्मीदवार की नेतृत्व क्षमता, पहल तथा मेधाशक्ति, व्यवहार कुशलता तथा अन्य सामाजिक गुण, मानसिक तथा शारीरिक उर्जस्विता, प्रायोगिक अनुप्रयोग की शक्ति और चारित्रिक निष्ठा के निर्धारण पर विशेष ध्यान दिया जायेगा।

अनुसूची

स्तर और पाठ्यचर्या

अंग्रेजी के प्रश्न पत्र का स्तर ऐसा होगा जिसकी अपेक्षा विज्ञान के स्नातक से की जाती है। भूवैज्ञानिक विषय भारतीय विश्वविद्यालय की एम. एस-सी. डिग्री-स्तर के होंगे और सामान्यतः प्रत्येक विषय में ऐसे प्रश्न रखे जाएंगे जिनसे उम्मीदवारों की विषय की समझ का पता लग सके।

किसी भी विषय की प्रायोगिक परीक्षा नहीं होगी।

(1) सामान्य अंग्रेजी (कोड 01)

अंग्रेजी भाषा की समझ और अभिव्यक्ति करने की शक्ति की जांच करने के प्रश्न दिए जायेंगे।

(2) भूविज्ञान प्रश्न पत्र 1 (कोड 02)

क—सामान्य भू-उद्गम

महाद्वीप और महासागर—उनका विभाजन, विकास और उद्गम। महाद्वीपीय विस्थापन, महासागर विस्तारण और प्लेट विवर्तनिकी की संकल्पना पुराजलवायु और उनकी विशेषता। समस्थिति। पुराचुम्बकत्व। विघटनात्मिकता और उसका भू-विज्ञान में अनुप्रयोग। भूकालानुक्रम और भू-काल। भूकम्प-विज्ञान और भूगर्भ। भूअभिनति। ज्वालामुखीयता। द्वीप चाप गम्भीर, सागर, खाइयां और मध्य महासागरीय कटक। कोरल रीट्स। पर्वतन और महादेश रचना। पर्वतनी चक्र।

ख—भू आकृति विज्ञान—भू आकृतिक प्रक्रम; लक्षण और उनके प्राचल। भूआकृतिक चक्र और उनका अर्थ निर्वचन, स्थलाकृति और संरचनाओं में इसका सम्बन्ध। मृदा।

ग—संरचनात्मक भूविज्ञान—चट्टानों के भौतिक गुण। विरूपण-भ्रंशन और वलन—उनकी यांत्रिकी प्राथमिक संरचना। संरेखण, शल्कन और जोड़। वितल अन्तर्वधी और लक्षण गुम्बद। संस्तरों के शीर्ष तथा तल की पहचान। विषय विन्यास पटल विरूपण। शैल सविन्यासी विश्लेषण।

घ—स्तरिकी—स्तरिकी के सिद्धांत तथा नामपद्धति। विश्व स्तरिकी तथा पुराभूगोल प्रमुख भारतीय शैल समूह में ससंबंध । भारतीय स्तरिकी में काल विषयक समस्याएं।

ङ—पुराभूगोल (क) जीवाश्म, उनके प्रकार, संरक्षण पद्धति तथा प्रयोग। अकशेरूकियों का आकृति-विज्ञान, वर्गीकरण तथा भूविज्ञान सम्बन्धी इतिहास; प्रवाल; भजपाद, पटल क्लोम, एमोनाइटीज, जठरपाद, ट्राइलोहाटीज, शूल चर्मी, ग्रप्टोलाईटस और फार्मिनीफर्स।

(ख) गोंडवाना तथा शिवालिक प्राणिजात पर बल देते हुए कशरूकियों के प्रमुख समूह। मानक, हाथी तथा घोड़ा का विकास वृत।

(ग) गोंडवाना वनस्पति पर बल सहित जीवाश्म वनस्पति तथा इसका महत्व और वितरण।

(घ) सूक्ष्मपुराभूगोल : फोरमिनीफाराइडस के विशेष सन्दर्भ में इसका महत्व, उनकी परिस्थिति विज्ञान तथा पुरास्थिति विज्ञान।

(3) भूविज्ञान प्रश्न पत्र 2 (कोड 03)

क—क्रिस्टल विज्ञान

क्रिस्टलों के सममिति तत्व तथा वर्गीकरण 1 प्रक्षेप—गोलीय तथा त्रिविमं, 32 क्लास (बिन्दु समूह)। यमलम तथा क्रिस्टल अपूर्णता।

ख—वर्णनात्मक खनिज विज्ञान

खनिजों के भौतिक, रसायनिक, वैद्युत, चुम्बकीय तथा तापीय गुण धर्म। सिलिकेटों की संरचना तथा वर्गीकरण।

आलिवीन ग्रुप, गार्नेट ग्रुप, एमिडोट ग्रुप और मलिलाइट ग्रुप। जरकान, स्फीन, सिलिमनाइट, एन्डालसाइट, कायनाइट, पुखराज, स्टारोलाइट, बैरिल, कार्डिएराइट, टूर मैलीन। पाइराक्सीन ग्रुप और एम्फिबोल ग्रुप। वोलेस्टोनाइट और रोडो-नाइट। अभ्रक समूह, क्लोराइट ग्रुप तथा मृतिका खनिज। फैल्डस्पार ग्रुप, सिलिका मिनटल्म फैल्सपैथाइड ग्रुप। जियो लाइट ग्रुप तथा स्कैपो लाइट ग्रुप। आक्साइड्स, हाइड्रोक्लाइड्स कार्बोनेट्स, फास्फेट, हैलाइड्स, सल्फाइट्स तथा सल्फेट्स।

ग—प्रकाशित खनिज विज्ञान

प्रकाशिकी के सामान्य सिद्धान्त। प्रकाशिक उप साधन। अपवर्तन, द्विअपवर्तन, विलोप कोण, बहुवर्णता। प्रकाशिक दीघवतज, प्रकाशिक अक्षीय कोण। प्रकाशक अभिविन्यास परि-क्षेपण। प्रकीर्णन। प्रकाशिक विसंगतियां।

घ—शैलविज्ञान

(1) आग्नेय : स्वरूप संरचना, गठन और वर्गीकरण ग्रेनाइट-ग्रेनोडायोराइट । साइनाइट—नेफेलाइन साइनाइट । ग्रेब्रोपेरीडोटाइट-डुनाइट, डारलाइट, लैम्प्रोफायर, पैग्माटाइट, एप्लाइट, आईजोलाइट तथा कार्बोनाटाइट। रियोलाइट, ट्रेकाइट, डैकाइट एन्डेजाइट तथा बेसाल्ट।

सिलिकेट सिस्टम में प्रावस्था नियम तथा साम्यता। द्विघटक तथा त्रिघटक तन्त्र। क्रिस्टलीकरण क्रम। अभिक्रिया सिद्धांत/क्रिस्टलीकरण—अनेकता। विभिन्नता। विभिन्नता आरेख। ग्रेनाइट्स, मोनोनिनरलिक तथा क्षारीय शैल, कार्बोनाटाइट्स, पैनाटाइट्स तथा लैम्प्रोफायरों का उद्गम।

(2) अवसादी : वर्गीकरण तथा बनावट। अवसादों का मूल। गठन और संरचना। अवसादी शैलों के प्रमुख समूहों का अध्ययन। अवसादों का यांत्रिक विश्लेषण। निक्षेपण की पद्धतियां। पुरा-धारायें तथा द्रोणी विश्लेषण। अवसादों का उद्गम क्षेत्र। विक्षेपणीय पर्यावरण, भारी खनिज तथा उनका महत्व। शिली भवन तथा प्रसंघनन।

(3) कायान्तरित शैल : कायान्तरण के कारण, प्ररूप नियंत्रण, संरचना, श्रेणी तथा संलक्षण। कायान्तरी विभेदन। तत्वांतरण तथा ग्रेनाइटी भवन। अभिसंरचना, कणिकाश्म, चार्नोकाइट, खोलाइट्स, शिस्ट, नाइसिसेज और हार्नएम्फिसफेल्स। मेंडसा और ओरोजनी के संबंध में कायान्तरण।

ङ—भू-रसायन विज्ञान

अवयवों का अंतरिक्षी बाहुल्य, पृथ्वी का प्रारम्भिक भू-रासायनिक विभाजन, अवयवों का भू-रासायनिक वर्गीकरण, अनुरेख अवयव। जल का भू-रसायन विज्ञान। अवयवों का भू-रसायन विज्ञान, भू-रासायनिक चक्र तथा भू-रासायनिक पूर्वेक्षण के सिद्धांत।

(4) भूविज्ञान प्रश्न-पत्र 3 (कोड 04)

क—भारतीय खनिज निक्षेप

निम्नलिखित धातु तथा अधातु अयस्कों और खनिजों का भारतीय निक्षेप, जो उनके वितरण, उपस्थिति तथा उद्गम प्रणाली के सन्दर्भ में हो :—

(क) तांबा, सीसा, जस्त, एल्युमिनियम, मैगनेशियम, लोहा, मैगनीज, क्रोमियम, सोना, चांदी, टंगस्टैन तथा मोलिब्डेनम।

(ख) अभ्रक, वामक्यूलाइट, एस्बेस्टस, बेरीटिस, ग्रेफाइट, जिप्सम, गरिक, मूल्यवान तथा अल्पमूल्य खनिज, उच्चतापसह खनिज, अपघर्षी तथा मृत्तिका शिल्प हेतु खनिज, कांच, उर्वरक, सीमेंट, प्रलेख तथा वर्णन उद्योग निर्माणी पत्थर।

(ग) कोयला, पैट्रोलियम, प्राकृतिक गैस तथा परमाणु ऊर्जा खनिज।

ख—खनिज अन्वेषण

पृष्ठीय तथा अपृष्ठीय अन्वेषण की पद्धतियां, क्षेत्रगत उपस्कर तथा अन्वेषण हेतु क्षेत्रगत परीक्षण; अयस्क निक्षेपों का पता तथा अन्वेषण हेतु अयस्क निक्षेपों का प्रतिचयन, आमापन और मूल्यांकन। खनिज अन्वेषण में भू-भौतिक, भू-रासायनिक तथा भूवैदिक सर्वेक्षणों का अनुप्रयोग।

ग—खनिज अर्थशास्त्र

राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था में खनिजों का महत्व। विनिर्माण उद्योगों में विभिन्न खनिजों का प्रयोग। मांग, आपूर्ति और प्रतिस्थापन भारत के प्रमुख खनिजों का उत्पादन तथा मूल्य। खनिज उद्योगों के अन्तर्राष्ट्रीय पहल। सामरिक, क्रांतिक और

अनिवार्य खनिज। संरक्षण तथा राष्ट्रीय खनिज नीति। खनिज उत्पादन में भारत की स्थिति।

ख—आर्थिक भूविज्ञान

खनिज निक्षेप—रूपण प्रक्रिया, स्थानिकीकरण का नियंत्रण तथा वर्गीकरण । आवश्यक धात्विक तथा अधात्विक खनिजों का अध्ययन ,जो उनकी खनिजीयता, उपस्थिति तथा वितरण के सन्दर्भ में किया गया हो।

(5) **जल-भूविज्ञान (कोड 05)**

जल-भूविज्ञान चक्र। भूपर्पटी में जल वितरण। जलीय चक्र में भू-जल आंकाक्षी, मैग्मज और मैग्मीय जल और स्रोतों को उद्भव। जलधारी लक्षणों की दृष्टि से शैलों का वर्गीकरण, जल स्तरिकी एकक। भूजल की उपस्थिति के अनुकूल भू-वैज्ञानिक संरचना, भू-जल क्षेत्र। भू-जल भंडार—जल भर, मितजलभूत, अक्वीटार्डस। जलभरों का वर्गीकरण ।

शैलों के जलवैज्ञानिक गुणधर्म (भू-जल भण्डार)—संरध्रता रिक्ति अनुपात, चुम्बकशीलता, पारगम्यता, स्टोरेटिविटी, आपेक्षिक पराभव, आपेक्षिक धारिता, विसरणशीलता। भू-जल भंडार के गुणधर्मों की पहचान की पद्धतियां—कूप पद्धतियों तथा प्रयोगशाला प्रविधियों के विसर्जन द्वारा चुम्बकशीलता और आपेक्षिक पराभव। स्टोरेटिविटी की पहचान। भू-जल की गति प्रदाब करने वाले नल। भू-जल गति के नियम-डार्सी नियम के भू-जल का पुनर्भरण—कृत्रिम तथा प्राकृतिक, पुनर्भरण के नियंत्रक कारक, भू-जल के युति और क्षेयी प्रयोग । .

भू-जल अन्वेषण की पृष्ठीय तथा उपपृष्ठीय प्रविधियां—भू-वैज्ञानिक तथा भू-भौतिक—जल सन्तुलन। भू-जल निष्कर्षण की प्रविधियां (कूप-प्ररूप सर्वाधिक उपज हेतु विभिन्न प्रकार के शैल—क्षेत्रों में कूप-निर्माण की पद्धतियां)। विभिन्न प्रकार के प्रयोगों—घर, उद्योगों तथा सिंचाई संबंधी के संदर्भ में भू-जल के रासायनिक लक्षण, जल प्रदूषण ।

परिशिष्ट-II

उम्मीदवारों की शारीरिक परीक्षा के बारे में विनियम

ये विनियम उम्मीदवारों की सुविधा के लिए प्रकाशित किए जाते हैं ताकि वे यह अनुमान लगा सकें कि अपेक्षित शारीरिक स्तर के हैं या नहीं। ये विनियम स्वास्थ्य परीक्षकों (मेडिकल एक्जामिनर्स) के मार्ग निर्देशन के लिए भी हैं तथा जो उम्मीदवार इन विनियमों में निर्धारित न्यूनतम अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता तो उसे स्वास्थ्य परीक्षकों द्वारा स्वस्थ घोषित नहीं किया जा सकता । किन्तु किसी उम्मीदवार को इन विनियमों में निर्धारित मानक के अनुसार स्वस्थ न मानते हुए भी स्वास्थ्य परीक्षा बोर्ड को इस बात की अनुमति होगी कि वह लिखित रूप से स्पष्ट कारण देते हुए भारत सरकार को यह अनुशंसा कर सके कि उक्त उम्मीदवार को सेवा में लिया जा सकता है और इससे सरकार को कोई हानि नहीं होगी।

यह स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि भारत सरकार को चिकित्सा बोर्ड की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद किसी भी उम्मीदवार को अस्वीकृत या स्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार होगा। रक्षा सेवाओं के भूतपूर्व विकलांग कर्मचारियों के मामले में पदों की अपेक्षाओं को देखते हुए, स्तर में छूट दी जाएगी।

1. नियुक्ति के लिए स्वस्थ ठहराए जाने के लिए यह जरूरी है कि उम्मीदवारों का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य ठीक हो और उसमें कोई ऐसा शारीरिक दोष न हो जिससे नियुक्ति के बाद दक्षतापूर्वक काम करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो।

2. भारतीय (एंग्लोइण्डियन सहित) जाति के उम्मीदवारों की आय, कद और छाती के घेरे के परस्पर सम्बन्ध के बारे में मेडिकल बोर्ड के ऊपर यह बात छोड़ दी गई है कि वह उम्मीदवारों की परीक्षा में मार्गदर्शन के रूप में जो भी परस्पर सम्बन्ध के आंकड़े सब से अधिक उपयुक्त समझे व्यवहार में लाएं। यदि वजन, कद और छाती के घेरे में विषमता हो तो जांच के लिए उम्मीदवार को अस्पताल में रखना चाहिए और उसकी छाती का एक्स-रे लेना चाहिए। ऐसा करने के बाद ही बोर्ड उम्मीदवार को स्वस्थ अथवा अस्वस्थ घोषित करेगा।

3. उम्मीदवार का कद निम्नलिखित विधि में मापा जाएगा :—

वह अपने जूते उतार देगा और उस माप दण्ड (स्टैण्डर्ड) से इस प्रकार सटा कर खड़ा किया जाएगा कि उसके पांव आपस में जुड़े रहें और उसका वजन सिवाय एड़ियों के पांवों के अंगूठों या किसी और हिस्से पर न पड़े। वह बिना अकड़े सीधा खड़ा होगा और उसकी एड़ियां, पिंडलियां, नितम्ब और कंधे मापदंड के साथ लगे होंगे। उसकी ठोड़ी नीची रखी जाएगी ताकि सिर का स्तर (बटेक्स आफ दि हैड लेवल) हारिजेंटल बार (आड़ी छड़) के नीचे जाए। कद सैंटीमीटरों और आधे सैंटीमीटरों के भागों में मापा जाएगा।

4. उम्मीदवार की छाती मापने का तरीका इस प्रकार है :—

उसे इस भांति खड़ा किया जाएगा कि उसके पांव जुड़े हों और उनकी भुजाएं सिर से ऊपर उठी हों। फीते को छाती के गिर्द इस तरह लगाया जाएगा कि इसका ऊपरी किनारा अंसफलक (शोल्डर ब्लेड) के निम्न कोणों (इन्फीरियर एंगिल्ज) के पीछे लगा रहे और वह फीते को छाती के गिर्द ले जाने पर उसी आड़े समतल (हारिजेंटल/प्लेन) में रहे। फिर भुजाओं को नीचे किया जाएगा और उन्हें शरीर के साथ लटका रहने दिया जाएगा। किन्तु इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि कंधे ऊपर या पीछे की ओर न किये जाएं ताकि फीता अपने स्थान से हट न जाए। तब उम्मीदवार को कई बार गहरी सांस लेने के लिए कहा जाएगा तथा छाती के अधिक से अधिक फैलाव पर सावधानी से ध्यान दिया जाएगा और कम से कम और अधिक से अधिक फैलाव सैंटीमीटरों में रिकार्ड किया जाएगा जैसे 84-89, 86-93.5 आदि। माप रिकार्ड करते समय आधी सैंटीमीटर से कम भिन्न (फ्रेक्शन) को नोट नहीं करना चाहिए।

विशेष ध्यान :—अंतिम निर्णय करने से पूर्व उम्मीदवार का कद और छाती दो बार मापे जाने चाहिएं।

5. उम्मीदवार का वजन किया जाएगा और यह किलोग्राम में होगा। आधा किलोग्राम या उसका अंश नोट नहीं करना चाहिए।

6. उम्मीदवार की नजर की जांच निम्नलिखित नियमों के अनुसार की जाएगी। प्रत्येक जांच का परिणाम रिकार्ड किया जाएगा :—

(1) सामान्य (जनरल) :—किसी रोग या असामान्यता (एबनार्मैलिटि) का पता लगाने के लिए उम्मीदवार की आंखों की सामान्य परीक्षा की जाएगी। यदि उम्मीदवार की आंखें, पलकों अथवा साथ लगी संरचनाओं (कान्टिगुअस स्ट्रक्चर्स) का कोई

ऐसा रोग हो जो उसे अब या आगे किसी समय सेवा के लिए अयोग्य बना सकता है, तो उसको अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

(2) दृष्टि तीक्ष्णता (विजुअल एक्यूइटी) :— दृष्टि तीव्रता का निर्धारण करने के लिए दो तरह की जांच की जाएगी। एक दूर की नजर के लिए और दूसरी नजदीक की नजर के लिए। प्रत्येक आंख की अलग-अलग परीक्षा की जाएगी।

चश्मे के बिना आंख की नजर (नेकेड आई विजन) की कोई न्यूनतम सीमा (मिनिमम लिमिट) नहीं होगी, किन्तु प्रत्येक मामले में मेडिकल बोर्ड या अन्य मेडिकल प्राधिकारी द्वारा इसे रिकार्ड किया जाएगा। क्योंकि इससे आंख की हालत के बारे में मूल-सूचना (बेसिक इन्फारमेशन) मिल जाएगी ।

चश्मे के साथ और चश्मे के बिना दृष्टि तीक्ष्णता का मानक निम्नलिखित होगा :—

	दूर की दृष्टि		निकट की दृष्टि	
	अच्छी आंख	खराब आंख	अच्छी आंख	खराब आंख
35 वर्ष से कम आयु वाले उम्मीदवारों के लिए	6/9 अथवा 6/6	6/9 अथवा 6/12	0.6	0.8

टिप्पणी : (1) मायोपिया का कुल परिणाम (सिलेंडर सहित) 4.00 डी. से अधिक नहीं होना चाहिए हाइपर मेट्रोपिया का कुल परिणाम (सिलेंडर सहित)+4.00 डी. से अधिक नहीं होना चाहिए।

टिप्पणी : (2) फंडस परीक्षा : जहां तक संभव होगा चिकित्सा बोर्ड की विवेचना पर फंडस परीक्षा की जाएगी और परिणाम रिकार्ड किया जाएगा।

टिप्पणी : (3) कलर विजन :

(1) कलर विजन की जांच जरूरी होगी।

(2) नीचे दी गई तालिका के अनुसार रंग का प्रत्यक्ष ज्ञान उच्चतर (हायर) और निम्नतर (लोअर) ग्रेडों में होना चाहिए। लालटेन में एपर्चर के आकार पर निर्भर होगा।

ग्रेड	रंग के प्रत्यक्ष ज्ञान का उच्चतर ग्रेड	रंग के प्रत्यक्ष ज्ञान का निम्नतर ग्रेड
1. लैम्प और उम्मीदवार के बीच की दूरी	4.9 मीटर	4.9 मीटर
2. द्वारक (एपर्चर) का आकार	1.3 मि० मीटर	1.3 मि० मीटर
3. उद्भासन काल	5 सैकेंड	5 सैकेंड

जनता की सुरक्षा से सम्बद्ध सेवाओं के लिए अर्थात् पायलटों, ड्राइवरों, गार्डों आदि के लिए कलर विजन का उच्चतर ग्रेड आवश्यक है किन्तु अन्य के लिए कलर विजन का निम्नतर ग्रेड उपयुक्त समझा जाएगा। कलर विजन का यही स्तर समस्त इंजीनियरी कार्मिकों के सम्बन्ध में भी लागू होगा, जिन मामलों में रंग का प्रत्यक्ष ज्ञान आवश्यक हो चाहे उनकी ड्यूटी क्षेत्रगत कार्य (फील्ड वर्क) से संबंद्ध हो या नहीं ।

(3) लाल संकेत, हरे संकेत, और सफेद रंग को आसानी से और हिचकिचाहट के बिना पहचान लेना संतोषजनक कलर विजन है इशिहारा के प्लेटों के इस्तेमाल को जिन्हें एडिज ग्रीन की लैंटर्न जैसी उपयुक्त लैंटर्न और उसकी रोशनी में दिखाया जाता है कलर विजन की जांच करने के लिए बिल्कुल विश्वसनीय समझा जाएगा। वैसे तो दोनों आंखों में से किसी भी एक जांच को साधारण तथा पर्याप्त समझा जा सकता है। लेकिन, सड़क, रेल, और हवाई यातायात से संबंधित सेवाओं के लिए लैंटर्न से जांच करना लाजमी है। शक वाले मामले में जब उम्मीदवार को किसी एक जांच करने पर अयोग्य पाया जाए तो दोनों ही तरीकों से जांच करनी चाहिये।

टिप्पणी : (4) दृष्टि क्षेत्र (फील्ड आफ विजन) :सम्मुख विधि (कन्फ्रन्टेशन मैथड) द्वारा दृष्टि क्षेत्र की जांच की जाएगी। जब ऐसी जांच का नतीजा असंतोषजनक या संदिग्ध हो तब क्षेत्र को परमापी (पैरामीटर) पर निर्धारित किया जाना चाहिए।

टिप्पणी : (5) रतौंधी (नाइट ब्लाइन्डनेस) :—केवल विशेष मामलों को छोड़कर रतौंधी की जांच नेमी रूप से जरूरी नहीं है । रतौंधी में दिखाई न देने की जांच करने के लिए कोई स्टैंडर्ड टेस्ट निश्चित नहीं है। मेडिकल बोर्ड को ही ऐसे काम चलाऊ टैस्ट कर लेने चाहिएं जैसे रोशनी कम करके या उम्मीदवार को अंधेरे कमरे में लाकर 20 से 30 मिनट के बाद उससे विविध चीजों की पहचान करवा कर दृष्टि तीक्ष्णता रिकार्ड करना । उम्मीदवारों के कहने पर ही हमेशा विश्वास नहीं करना चाहिए किन्तु उन पर उचित विचार किया जाना चाहिए।

टिप्पणी : (6) दृष्टि की तीक्ष्णता से भिन्न आंख की दिशाएं (आक्यूलर कन्डीशन्स) :

(क) आंख की अंग सम्बन्धी बीमारी को या बढ़ती हुई अपवर्तन त्रुटि (रिफ्रेक्टिव एरेर) को, जिसके परिणामस्वरूप दृष्टि की तीक्ष्णता से कम होने की सम्भावना हो, अयोग्यता का कारण समझना चाहिए।

(ख) रोहे (ट्रकोमा) : रोहे जब तक भयानक न हों साधारणतः अयोग्यता का कारण नहीं समझना चाहिए।

(ग) भैंगापन : जहां दोनों आंखों की दृष्टि का होना जरूरी है भैंगापन अयोग्यता माना जाएगा, चाहे दृष्टि की तीक्ष्णता निर्धारित स्तर की ही क्यों न हो।

(घ) एक आंख वाला व्यक्ति : एक आंख वाले व्यक्ति की नियुक्ति हेतु अनुशंसा नहीं की जाएगी।

7. रक्त चाप (ब्लड प्रेशर) :—

ब्लड प्रेशर के सम्बन्ध में बोर्ड अपने निर्णय से काम लेगा। नार्मल मेक्सीमम सिस्टालिक प्रेशर के आकलन का काम चलाऊ विधि निम्न प्रकार है :—

(1) 15 से 25 वर्ष के युवा व्यक्तियों में औसत ब्लड प्रेशर लगभग 100 आयु होता है।

(2) 25 वर्ष से ऊपर की आयु वाले व्यक्तियों में ब्लड प्रेशर के आकलन में 110+आधी आयु का सामान्य नियम बिल्कुल संतोषजनक दिखाई पड़ता है।

विशेष ध्यान:—सामान्य नियम के रूप में 140 एम. एम. के ऊपर सिस्टालिक प्रैशर और 90 एम. एम. के ऊपर डायस्टालिक प्रैशर को संदिग्धत मान लेना चाहिए और उम्मीदवार को अयोग्य या योग्य ठहराने के सम्बन्ध में अपनी अंतिम राय देने से पहले बोर्ड को चाहिए कि उम्मीदवार को अस्पताल में रखें। अस्पताल में रखने की रिपोर्ट से यह भी पता लगाना चाहिए कि घबराहट (एक्साइमेंट) आदि के कारण ब्लड प्रैशर थोड़े समय रहने वाला है या इसका कारण कोई कार्पिक (आर्गेनिक) बीमारी है। ऐसे सभी मामलों में हृदय का एक्सरे और इलैक्ट्रो-कार्डियोग्राफी जांच रक्त यूरिया निकाय (क्लियरेंस) की जांच भी नमी तौर पर की जानी चाहिए। फिर भी उम्मीदवार के योग्य होने या न होने के बारे में अंतिम फैसला केवल मैडिकल बोर्ड ही करेगा।

ब्लड प्रेशर (रक्त दाब) लेने का तरीका:—

नियमित : पारो वाले दाबमापों (मर्करी मानोमीटर) किस्म का उपकरण (इंस्ट्रमेंट) इस्तेमाल करना चाहिए। किसी किस्म व्यायाम या घबराहट के बाद पन्द्रह मिनट तक रक्त दाब नहीं लेना चाहिए। रोगी बैठा या लेटा हो बशर्ते कि वह और विशेष-कर उसकी बांह शिथिल और आराम से हों। बांह थोड़ी बहुत होरिजंटल स्थिति में रोगी के पार्श्व पर हो तथा उसके कंधे से कपड़ा उतार देने चाहिएं। कफ में से पूरी तरह हवा निकाल कर बीच की रबड़ की भुजा के अन्दर की ओर रख कर और उसके निचले किनारों को कोहनी के मोड़ से एक या दो इंच ऊपर करके लगाना चाहिए। इसके बाद कपड़े पट्टी को फैलाकर समान रूप से लपेटना चाहिए ताकि हवा भरने पर कोई हिस्सा फूल कर बाहर को न निकले।

कोहनी के मोड़ पर बाहू धमनी (ब्रेकियल आर्टरी) को दबा-दबा कर ढूंढा जाता है और तब इसके ऊपर बीचों-बीच स्टैथो-स्कोप को हल्के से लाया जाता है जो कफ के साथ न लगें। कफ में लगभग 200 एम. एम. एच. जी. हवा भरी जाती है और इसके बाद इसमें से धीरे-धीरे हवा निकाली जाती है। हल्की क्षामक ध्वनियां सुनाई पड़ने पर जिस स्तर पर पारे का कालम टिका होता है वह सिस्थालिक प्रैशर दर्शाता है, जब और हवा निकाली जाएगी तो और तेज ध्वनियां सुनाई पड़ेंगी। जिस स्तर पर ये साफ और अच्छी सुनाई पड़ने वाली ध्वनियां हल्की दबी हुई सी लुप्त प्राय: हो जाएं यह डायस्टालिक/ प्रैशर है। ब्लड प्रैशर काफी थोड़ी अवधि में ही ले लेना चाहिए क्योंकि कफ के लम्बे समय का दबाव रोगी के लिए क्षोभकारी होता है और इससे रीडिंग गलत होती है। यदि दोबारा पड़ताल करनी जरूरी हो तो कफ में से पूरी हवा निकाल कर कुछ मिनट के बाद ही ऐसा किया जाए। कभी-कभी कफ में से हवा निकालने पर एक निश्चित स्तर पर ध्वनियां सुनाई पड़ती हैं; दाब गिरने पर ये गायब हो जाती है तथा निम्न स्तर पर पुन: प्रकट हो जाती हैं। इस 'साइलेंट गैप' से रीडिंग में गलती हो सकती है।

8. परीक्षक की उपस्थिति में किए गए मूत्र की ही परीक्षा की जानी चाहिए और परिणाम रिकार्ड किया जाना चाहिए। जब मैडिकल बोर्ड को किसी उम्मीदवार के मूत्र में रासायनिक जांच द्वारा शक्कर का पता चले तो बोर्ड इसके सभी पहलुओं की परीक्षा करेगा और मधुमेह (डायबिटीज) के घातक चिन्ह और लक्षणों को भी विशेष रूप से नोट करेगा। यदि बोर्ड उम्मीदवार को ग्लूकोज मेह (ग्लाइकोसरिया) के सिवाय, अपेक्षित मैडिकल फिटनेस के स्टैंडर्ड के अनुरूप पाए तो वह उम्मीदवार को इस शर्त के साथ फिट घोषित कर सकता है इसका ग्लूकोज मेह अमधुमेही (नान डायबेटिक) है और बोर्ड इस केस को मेडिसन के किसी ऐसे निर्दिष्ट विशेषज्ञ के पास भेजेगा जिसके पास अस्पताल और प्रयोगशाला की सुविधाएं हों। मेडिकल विशेषज्ञ स्टैंडर्ड ब्लड शुगर टालेरेंस टैस्ट समेत जो भी क्लिनिकल या लेबोरेटरी परीक्षाएं जरूरी समझेगा, करेगा और अपनी रिपोर्ट मेडिकल बोर्ड को भेज देगा जिस पर मेडिकल बोर्ड का "फिट" "अनफिट" की अंतिम राय आधारित होगी। दूसरे अवसर पर उम्मीदवार के लिए बोर्ड के सामने स्वयं उपस्थित होना जरूरी नहीं होगा। औषधि के प्रभाव को समाप्त करने के लिए यह जरूरी हो सकता है कि उम्मीदवार को कई दिन तक अस्पताल में पूरी देख-रेख में रखा जाए।

9. यदि जांच के परिणामस्वरूप कोई महिला उम्मीदवार 12 हफ्ते या इससे अधिक समय की गर्भवती पायी जाती है तो उसको अस्थाई रूप से तब तक अस्वस्थ घोषित किया जाना चाहिए जब तक कि उसका प्रसव पूरा न हो जाए। किसी रजि-स्टर्ड चिकित्सा व्यवसायी का स्वस्थता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर, प्रसूती की तारीख के 6 हफ्ते बाद अरोग्य प्रमाण-पत्र के लिए उसकी फिर से स्वस्थता परीक्षा की जानी चाहिए।

10. निम्नलिखित अतिरिक्त बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए :

(क) उम्मीदवार को दोनों कानों से अच्छा सुनाई पड़ता है और उसके कान में बीमारी का कोई चिन्ह नहीं है। यदि कोई कान की खराबी हो तो उसकी परीक्षा कान-विशेषज्ञ द्वारा की जानी चाहिए। यदि सुनने की खराबी का इलाज शल्य क्रिया आपरेशन या हियरिंग एड के इस्तेमाल से हो सके तो उम्मीदवार को इस आधार पर अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता बशर्ते कि कान की बीमारी बढ़ने वाली न हो। यह उपबंध भारतीय रेल भण्डार सेवा के अलावा अन्य रेल सेवाओं, सेना इन्जीनियरी सेवा, तार इन्जीनियरी सेवा ग्रुप के तार यातायात सेवा ग्रुप ख, केन्द्रीय इंजीनियरी सेवा ग्रुप क और केन्द्रीय विद्युत इन्जीनियरी सेवा ग्रुप पर लागू नहीं है। चिकित्सा परीक्षा प्राधिकारी के मार्गदर्शन के लिए इस सम्बन्ध में निम्नलिखित जानकारी दी जाती है :—

1	2	3
	(1) एक कान में प्रकट अथवा पूर्ण बहरापन, दूसरा कान सामान्य होगा।	यदि फ्रीक्वेंसी में बहरापन 30 डेसीबिल तक हो तो गैरतकनीकी काम के लिये योग्य।
	(2) दोनों कानों में बहरेपन का प्रत्यक्ष बोध, जिसमें श्रवण यंत्र (हियरिंग ऐड) द्वारा कुछ सुधार संभव हो।	यदि 1000 से 4000 तक की स्पीच-फिक्वेंसी में बहरापन 30 डेसीबिल तक हो तो तकनीकी तथा गैर तकनीकी दोनों प्रकार के काम के लिये योग्य।
	(3) सेंट्रल अथवा मार्जिनल टाइप के टिमपेनिक मेम्ब्रेन छिद्र।	(1) एक कान सामान्य हो दूसरे कान से टिमपेनिक मेम्ब्रेन में छिद्र हो तो अस्थाई आधार पर अयोग्य। कान की अन्य चिकित्सा की स्थिति सुधारने से दोनों कानों मार्जिनल या अन्य छिद्र वाले उम्मीदवारों को अस्थाई रूप से

1	2	3
		अयोग्य घोषित करके उस पर नीचे दिए गए नियम 4 (2) के अधीन विचार किया जा सकता है ।
		(2) दोनो कानो में मार्जिनल या एटिक छिद्र होने पर अयोग्य ।
		(3) दोनो कानो मे से दूल छिद्र होने पर अस्थाई रूप से अयोग्य ।
(4)	कान के एक ओर से/दोनो ओर से मस्टायड कैविटी से सब-नार्मल श्रवण	(1) किसी एक कान के सामान्य रूप में एक ओर से मस्टायड कैविटी से सुनाई देता हो दूसरे कान से सब-नार्मल-श्रवण वाले कान/मस्टायड कैविटी होने पर तकनीकी तथा गैर-तकनीकी दोनो प्रकार के कानों के लिये योग्य (2) दोनों ओर से मस्टायड कैविटी तकनीकी काम के लिए अयोग्य, यदि किसी भी कान की श्रवणता श्रवण-यंत्र लगाकर अथवा बिना लगाए सुधार कर 30 डेसी-बिल हो जाने पर गैर-तकनीकी कानों के लिए योग्य ।
(5)	बहते रहने वाला कान आपरेशन किया गया/बिना आपरेशन वाला।	तकनीकी तथा गैर-तकनीकी दोनो प्रकार के कानों के लिये अस्थायी रूप से अयोग्य ।
(6)	नासापुट की हड्डी संबंधी विषमताओं (बोनी डिफार्मिटी) सहित अथवा उससे रहित नाक की जीर्ण प्रदाहक एलर्जिक दशा ।	(1) प्रत्येक मामले की परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लिया जाएगा ।
		(2) यदि लक्षणो सहित नासापुट अपसरण विद्यमान होने पर अस्थाई रूप से अयोग्य ।
(7)	टांसिल्स और/अथवा स्वरयंत्र (लेन्सि) की जीर्ण प्रदाहक दशा ।	(1) टांसिल और/अथवा स्वरयंत्र की जीर्ण प्रदाहक दशा योग्य ।
		(2) यदि आवाज़ में अत्याधिक कर्कशता विद्यमान हो तो अस्थायी रूप से अयोग्य ।
(8)	कान, नाक, गले (ई० एन० टी०) के हल्के अथवा अपने स्थान पर दुर्बल ट्यूमर ।	(1) हल्का ट्यूमर—अस्थाई रूप से अयोग्य ।
		(2) दुर्बल ट्यूमर—अयोग्य ।
(9)	म्रास्टोकिरोसिस	श्रवण तंत्र की सहायता से या आपरेशन के बाद श्रवणता 30 डेसिबल के अन्दर होने पर योग्य ।
(10)	कान, नाक अथवा गले के जन्मजात दोष ।	(1) यदि काम काज म बाधक न हो तो योग्य ।
		(2) भारी मात्रा मे हकलाहट हो तो अयोग्य ।
(11)	नेजल पोली	अस्थाई रूप से अयोग्य

(ख) उम्मीदवार बोलने में हकलाता/हकलाती नहीं हो।

(ग) उसके दांत अच्छी हालत में हैं या नहीं, और अच्छी तरह चबाने के लिए जरूरी होने पर नकली दांत लगे हैं या नहीं।

(अच्छी तरह भरे हुए दांतो को ठीक समझा जाएगा)।

(घ) उसकी छाती की बनावट अच्छी है या नहीं और छाती काफी फैलती है या नहीं तथा उसका दिल या फेफड़े ठीक है या नहीं।

(ङ) उसे पेट की कोई बीमारी है या नहीं।

(च) उसे रप्चर है या नहीं।

(छ) उसे हाइड्रोसिल, बढ़ी हुई वरिकोसील, वेरिकाजशिरा (वेन) या बवासीर है या नहीं।

(ज) उसके अंगों, हाथों और पैरों की बनावट और विकास अच्छा है या नहीं और उसकी ग्रंथियां भली भांति स्वतन्त्र रूप से हिलती है या नहीं।

(झ) उसके कोई चिरस्थायी त्वचा की बीमारी है या नहीं।

(ञ) कोई जन्मजात कुरचना या दोष है या नहीं।

(ट) उसमें किसी उग्र या जीर्ण बीमारी के निशान है या नहीं जिन से कमजोर गठन का पता लगे।

(ठ) कारगर टीके के निशान है या नहीं।

(ड) उसे कोई संचारी (कम्यूनिकेबल) रोग है या नहीं।

11. विल और फेफड़े की किसी ऐसी विलक्षणता का पता लगाने के लिए जो साधारण शारीरिक परीक्षा से ज्ञात न हो, सभी मामलों में नेमी रूप से छाती की एक्सरे परीक्षा की जानी चाहिए।

जब कोई दोष मिले तो उसे प्रमाण-पत्र में अवश्य ही नोट किया जाए। मेडीकल परीक्षक को अपनी राय लिख देनी चाहिए कि उम्मीदवार से अपेक्षित दक्षतापूर्वक ड्यूटी में इससे बाधा पड़ने की सम्भावना है या नहीं।

टिप्पणी:—उम्मीदवारों को चेतावनी दी जाती है कि उपर्युक्त सेवाओं के लिए उनकी योग्यता का निर्धारण करने के लिए नियुक्त स्पेशल या स्टैंडिंग मेडिकल बोर्ड के खिलाफ उन्हें अपील करने के लिए कोई हक नहीं है, किन्तु यदि सरकार को प्रथम बोर्ड की जांच में निर्णय की गलती की सम्भावना के संबंध में प्रस्तुत किए गए प्रमाण के बारे में तसल्ली हो जाए तो सरकार दूसरे बोर्ड के सामने एक अपील की इजाजत दे सकती है। ऐसा प्रमाण उम्मीदवार को प्रथम मेडिकल बोर्ड के निर्णय भेजने की तारीख के एक महीने के अन्दर पेश करना चाहिए वरना दूसरे मेडिकल बोर्ड के सामने अपील करने की प्रार्थना पर विचार नहीं किया जाएगा।

यदि प्रथम बोर्ड के निर्णय की गलती की सम्भावना के बारे में प्रमाण के रूप में उम्मीदवार मेडिकल प्रमाण-पत्र पेश करे तो इस प्रमाण-पत्र पर उस हालत में विचार नहीं किया जाएगा जबकि उसमें संबंधित मेडिकल प्रैक्टीशनर का इस आशय का नोट नहीं होगा कि यह प्रमाण-पत्र इस तथ्य के पूर्ण ज्ञान के बाद ही दिया गया है कि उम्मीदवार पहले से ही सेवाओं के लिए मेडिकल बोर्ड द्वारा अयोग्य घोषित करके अस्वीकृत किया जा चुका हो।

मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट

मेडिकल परीक्षक के मार्ग दर्शन के लिए निम्नलिखित सूचना दी जाती है :—

शारीरिक योग्यता (फिटनैस) के लिए अपनाए जाने वाले स्टैन्डर्ड में संबंधित उम्मीदवारों की आयु और सेवा काल (यदि हो) के लिए उचित गुंजाइश रखनी चाहिए। किसी ऐसे व्यक्ति को पब्लिक सर्विस में भर्ती के लिए योग्य नहीं समझा जाएगा, जिसके बारे में यथास्थिति सरकार या नियुक्ति प्राधिकारी (अपाइंटिंग अथारिटी) को यह तसल्ली नहीं कि उसे ऐसी कोई बीमारी या शारीरिक दुर्बलता (बाडिली इन्फार्मिटी) नहीं है जिससे वह उस सेवा के लिए अयोग्य हो या उसके अयोग्य होने की संभावना हो।

यह बात समझ लेनी चाहिए कि योग्यता का प्रश्न भविष्य में भी उतना ही सम्बद्ध है जितना वर्तमान से है और मेडिकल परीक्षा का एक मुख्य उद्देश्य निरन्तर कारगर सेवा प्राप्त करना और स्थायी नियुक्ति के उम्मीदवारों के मामले में अकाल मृत्यु होने पर समय पूर्व पेन्शन या अदायगियों को रोकना है। साथ ही यह भी नोट कर लिया जाए कि यहाँ, प्रश्न केवल निरन्तर कारगर सेवा की सम्भावना का है और उम्मीदवार की अस्वीकृत करने की सलाह इस हाल में नहीं दी जानी चाहिये जबकि उसमें कोई ऐसा दोष हो जो केवल कम परिस्थितियों में निरन्तर कारगर सेवा में बाधक पाया गया हो।

महिला उम्मीदवार की परीक्षा के लिए किसी लेडी डाक्टर को मेडिकल बोर्ड के सदस्य के रूप में सहयोजित किया जाएगा।

जो उम्मीदवार भू-विज्ञानी (कनिष्ठ) और सहायक भू-विज्ञानी के पदों पर नियुक्त किये जाएंगे उन्हें भारत में या भारत से बाहर क्षेत्रगत कार्य करना होगा। ऐसे उम्मीदवार के मामले में चिकित्सा बोर्ड को अपना मत स्पष्ट रूप से व्यक्त करना चाहिये कि वह क्षेत्रगत कार्य के लिए योग्य है या नहीं।

मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट गोपनीय रखनी चाहिए।

ऐसे मामलों में जब कि कोई उम्मीदवार सरकारी सेवा में नियुक्ति के लिए अयोग्य करार दिया जाता है तो मोटे तौर पर उसके अस्वीकार किए जाने के आधार पर उम्मीदवार को बताए जा सकते हैं। किन्तु मेडिकल बोर्ड ने जो खराबी बताई हो उनका विस्तृत ब्योरा नहीं दिया जा सकता है।

ऐसे मामलों में जहां मेडिकल बोर्ड का यह विचार हो कि सरकारी सेवा के लिए उम्मीदवार के अयोग्य बनाने वाली छोटी मोटी खराबी चिकित्सा (मेडिकल या सर्जिकल) द्वारा दूर हो सकती है वहां मेडिकल द्वारा इस आशय का कथन रिकार्ड किया जाना चाहिए ।

नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इस बारे में उम्मीदवार को बोर्ड की राय सूचित किए जाने में कोई आपत्ति नहीं है जब वह खराबी दूर हो जाए तो एक दूसरे मेडिकल बोर्ड के सामने उस व्यक्ति को उपस्थित होने के लिए कहने में संबंधित प्राधिकारी स्वतंत्र है।

यदि कोई उम्मीदवार अस्थायी तौर पर अयोग्य करार दिया जाए तो दुबारा परीक्षा की अवधि साधारणतया कम से कम छह महीने से कम नहीं होनी चाहिए। निश्चित अवधि के बाद जब दुबारा परीक्षा की जाए तो ऐसे उम्मीदवारों को और आगे की अवधि के लिए स्थायी तौर पर अयोग्य घोषित न कर नियुक्ति के लिए उनकी योग्यता के संबंध में अथवा वे इस नियुक्ति के लिए अयोग्य हैं ऐसा निर्णय अंतिम रूप से दिया जाना चाहिए।

(क) उम्मीदवार का कथन और घोषणा :—

अपनी मेडिकल परीक्षा से पूर्व उम्मीदवारों को निम्नलिखित अपेक्षित स्टेटमेंट देनी चाहिए और उसके साथ लगी हुई घोषणा (डिक्लेरेशन) पर हस्ताक्षर करने चाहिए। नीचे दिये हुए नोट में उल्लिखित चेतावनी की ओर उस उम्मीदवार को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए।

1. अपना पूरा नाम लिखें————————————
(साफ अक्षरों में)

2. अपनी आयु और जन्म स्थान बताएं————————

3. (क) क्या आप गोरखा, गढ़वाली, असमी, नागालैण्ड जन जाति आदि में से किसी जाति से संबंधित हैं जिसका औसत कद दूसरों से कम होता है। "हां" या "नहीं" में उत्तर दीजिए। उत्तर हां में हो तो उस जाति का नाम बताइए।

(ख) क्या आपको कभी चेचक, रुक-रुक कर होने वाला या कोई दूसरा बुखार, ग्रंथियां (ग्लैण्ड्स) का बढ़ना या इनमें पीप पड़ना थूक से खून आना, दमा, दिल की बीमारी, फेफड़े की बीमारी, मूर्छा के दौरे, रूमटिज्म ऐपेंडिसाइटिस हुआ है ?

(ग) क्या दूसरी ऐसी कोई बीमारी या दुर्घटना, जिसके कारण शैय्या पर लेटे रहना पड़ा हो और जिसका मेडिकल या सर्जिकल इलाज किया गया हो, हुई है ?

4 आपको चेचक आदि का टीका आखिरी बार कब लगा था ?

5. क्या आपको अधिक काम या किसी दूसरे कारण से किसी किस्म की अधीरता (नर्वसनेस) हुई।

6 अपने परिवार के संबंध में निम्नलिखित ब्यौरे दें:—

यदि पिता जीवित हो तो उनकी आयु और स्वास्थ्य की अवस्था	मृत्यु के समय पिता की आयु और मृत्यु का कारण	आपके कितने भाई जीवित उनकी आयु और स्वास्थ्य की अवस्था	आपके कितने भाइयों की मृत्यु हो चुकी है, उनकी आयु और मृत्यु का कारण

यदि माता जीवित हो तो उनकी आयु और स्वास्थ्य की अवस्था	मृत्यु के समय माता की आयु और मृत्यु का कारण	आपकी कितनी बहनें जीवित हैं उनकी आयु और स्वास्थ्य की अवस्था	आपकी कितनी बहिनों की मृत्यु हो चुकी है, मृत्यु के समय उन की आयु और मृत्यु का कारण

7. क्या इसके पहले किसी मेडिकल बोर्ड से आपकी परीक्षा की है ?

8. यदि ऊपर का उत्तर हां में हो तो बताइए किस सेवा/किन सेवाओं के लिए आपकी परीक्षा की गई थी ?

9. परीक्षा लेने वाला प्राधिकारी कौन था ?

10. कब और कहां मेडिकल बोर्ड हुआ ? ————————

11. मेडिकल बोर्ड की परीक्षा का परिणाम यदि आपको बताया गया हो अथवा आपको मालूम हो————————

मैं घोषित करता हूं कि जहां तक मेरा विश्वास है, ऊपर दिए गए सभी जवाब सही और ठीक हैं।

उम्मीदवार के हस्ताक्षर

मेरे सामने हस्ताक्षर

किए———————————

बोर्ड के अध्यक्ष के

हस्ताक्षर———————————

नोट :—उपर्युक्त कथन की यथार्थता के लिये उम्मीदवार जिम्मेदार होगा। जानबूझ कर किसी सूचना को छिपाने से वह नियुक्ति को बैठने का जोखिम लेगा और यदि वह नियुक्त हो भी जाए तो वार्धक्य निवृत्ति भत्ता (सुपरएनुएशन) अलाउंस या उपदान (ग्रेच्युटी) के सभी दावों से हाथ धो बैठेगा।

(ख) ———————(उम्मीदवार का नाम) की शारीरिक परीक्षा का मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट———————

1. सामान्य विकास :————अच्छा————बीच का ——
पोषण : पतला——————————औसत——————————
मोटा—————की————— कद (जूते उतार कर)——————वजन में कोई हाल ही में हुआ परिवर्तन——————————
तापमान : ——————————
छाती का घेर ——————————

(1) पूरा सांस खींचने पर ——————————

(2) पूरा सांस निकालने पर ——————————

2. त्वचा—कोई जाहिरी बीमारी

3 नेत्र :—

(1) कोई बीमारी ——————————

(2) रतौंधी ——————————

(3) कलर विजन का दोष ——————————

(4) दृष्टि क्षेत्र (फील्ड आफ विजन) ——————————

(5) फंडस की जांच ——————————

(6) दृष्टि तीक्ष्णता (विजुअल एक्वीटी) ——————————

(7) द्विनेत्र संगमन की योग्यता ——————————

दृष्टि की तीक्ष्णता	चश्मे के बिना	चश्मे से	चश्मे की पावर सिलिएक्सिस	गोल
दूर की नजर	दा० ने०			
	बा० ने०			
पास की नजर	दा० ने०			
	बा० ने०			
हाइपरमट्रोपिया (व्यक्त)	दा० ने०			

4. कान : निरीक्षण ——————————सुनना
दायां कान ——————————बायां कान ——————————

5 ग्रंथियां ——————————थाइराइड ——————————

6. दांतों की हालत ——————————

7. श्वसन तंत्र (रेसपीरेटर सिस्टम)—का शारीरिक परीक्षण करने पर सांस के अंगों से किसी असमानता का पता लगा है।

यदि पता लगा है तो असमानता का पूरा ब्यौरा दें——————

8 परिसंचरण तंत्र (सरक्यूलिटरी सिस्टम)

(क) हृदय और आंगिक गति (आर्गेनिक मोशन)
गति (रेट) :
खड़े होने पर

25 बार कुदाए जाने के बाद ——————————

कुदाए जाने के 2 मिनट बाद ——————————

(ख) ब्लड प्रेशर——————सिस्टालिक ——————
डायस्टालिक——————

9. उदर (पेट) घेरा ——————————स्पर्शासहता
हार्निया ——————————

(क) दबाकर मालूम पड़ना : जिगर ——————————
तिल्ली——————गुर्दे——————————
ट्यूमर ——————————

(ख) रक्तार्श ——————————
भगंदर——————————

10. तंत्रिका तंत्र (नर्वससिस्टम) तंत्रिका या मानसिक अपसामान्यता का संकेत——————————

11. चाल तंत्र (लोकोमीटर सिस्टम)
कोई अपसामान्यता ——————————

12. जनन मूत्र तंत्र (जैनेटो यूरिनरी सिस्टम) ——————————
हाइड्रोसील, वेरिकोसील आदि का कोई संकेत :

मूत्र परीक्षा :—

(क) कैसा दिखाई पड़ता है?

(ख) उपेक्षित गुरुत्व (स्पेसिफिक ग्रेविटी)

(ग) एल्बूमन

(घ) शक्कर

(ङ) कास्ट्स

(च) कोशिकाएं (सैल्स)

13. छाती के एक्सरे परीक्षा की रिपोर्ट ——————————

14. क्या उम्मीदवार के स्वास्थ्य में कोई ऐसी बात है जिससे वह इस सेवा को ड्यूटी को दक्षतापूर्वक निभाने के लिये अयोग्य हो सकता है।

नोट :—महिला उम्मीदवार के मामले में, यदि वह पाया जाता है कि वह 12 सप्ताह अथवा उससे अधिक समय से गर्भिणी है तो उसे अस्थाई रूप से अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए (देखें) विनियम 9।

15. (क) उम्मीदवार परीक्षा कर लिये जाने के किन सेवाओं में कार्य के दक्ष तथा सतत निष्पादन हेतु सभी प्रकार से योग्य पाया गया है और किन सेवाओं के लिये वह अयोग्य पाया गया है।

(ख) क्या उम्मीदवार क्षेत्रगत सेवा के लिये योग्य है।

नोट :—बोर्ड को अपना निर्णय निम्नलिखित तीन वर्गों में से किसी एक में रिकार्ड करना चाहिए।

(i) योग्य

(ii) ——————————के कारण योग्य

(iii) ——————————के कारण अस्थाई रूप से अयोग्य

स्थान ——————————अध्यक्ष ——————————

तारीख——————————सदस्य ——————————

परिशिष्ट III

इस परीक्षा के आधार पर जिन पदों के लिए भर्ती की जा रही है, उनके संबंध में संक्षिप्त विवरण।

भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण

(1) भू-विज्ञान (कनिष्ठ) ग्रुप क

(क) नियुक्ति के लिये चुने गये उम्मीदवारों को दो वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रहना होगा। आवश्यक होने पर यह अवधि बढ़ाई भी जा सकती है।

(ख) परिवीक्षा अवधि के दौरान उम्मीदवार को प्रशिक्षण और शिक्षण का ऐसा कोर्स पूरा करना होगा और ऐसी परीक्षा तथा परीक्षण उत्तीर्ण करने होंगे जो सक्षम अधिकारी द्वारा विहित किए जाएं।

(ग) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में निर्धारित वेतनमान :

(i) भूविज्ञानी (कनिष्ठ) (कनिष्ठ वेतनमान) रु० 700-40-900-द० रो०-40-1100-50-1300।

(ii) भूविज्ञानी (वरिष्ठ) (वरिष्ठ वेतनमान) रु० 1100-50-1600।

(iii) निर्देशक (भूविज्ञानी) —रु० 1500-60-1800-100-2000।

(iv) उपमहानिदेशक/(भूविज्ञान)–रु० 2250-125/2-2500।

(v) वरिष्ठ उपमहानिदेशक (परिचालन)—रु० 2500-125/2-2750।

(vi) महानिदेशक—रु० 3000 (नियत)

(घ) सरकार द्वारा समय-समय पर आशोधित किए गए भर्ती नियमों के अनुसार विभाग में पदों के उच्चतर ग्रेडों में पदोन्नति की जाएगी।

(ङ.) सेवा और अवकाश तथा पेंशन की शर्तें वही होंगी जो सरकार द्वारा समय-समय पर आशोधित मूल नियमो तथा सिविल सेवा विनियमों से उल्लिखित हैं।

(च) सरकार द्वारा समय-समय पर आशोधित सामान्य भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवाएं) नियमावली में उल्लिखित शर्तों के अनुसार भविष्य निधि की शर्तें लागू होंगी।

(छ) भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण के समस्त अधिकारियों को भारत के किसी भी भाग में या भारत से बाहर कार्य करना पड़ सकता है।

(2) सहायक भू-विज्ञानी ग्रुप ख

(क) नियुक्ति हेतु, चुने गए उम्मीदवारों को दो वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाएगा। यदि आवश्यकता हुई तो यह अवधि बढ़ाई भी जा सकती है।

(ख) परिवीक्षा अवधि के दौरान उम्मीदवार को प्रशिक्षण और शिक्षण का ऐसा कोर्स पूरा करना होगा और ऐसी परीक्षा तथा परीक्षण उत्तीर्ण करने होंगे जो सक्षम अधिकारी द्वारा विहित किए जाएं।

(ग) वेतन का निर्धारित वेतनमान : रु० 650-30-740-35-810-द० रो०-35-880-40-1000-द० रो०-40-1200।

(घ) भू-विज्ञानी (ग्रुप क—कनिष्ठ वेतनमान) के संवर्ग में भर्ती अंशतः संघ लोक सेवा आयोग की प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा और अंशतः सरकार द्वारा समय-समय पर आशोधित भर्ती नियमों के अनुसार विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण में सहायक-भू-विज्ञान के निम्न ग्रेड से पदोन्नति द्वारा की जाए।

(ङ.) सेवा और अवकाश तथा पेंशन की शर्तें वही हैं जिनका उल्लेख क्रमशः सरकार द्वारा समय-समय पर यथा आशोधित मूल नियमों तथा सिविल सेवा विनियमों में किया गया है।

(च) भविष्य निधि की शर्तें वही हैं जिनका उल्लेख सरकार द्वारा समय-समय पर यथा आशोधित सामान्य भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवाएं) नियमावली में किया गया है।

(छ) सहायक भू-विज्ञानिकों की भारत मे या भारत के बाहर कहीं भी कार्य करना पड़ सकता है।

2. केन्द्रीय भू-जल बोर्ड

(1) कनिष्ठ जल भू-विज्ञानी ग्रुप क—

(क) नियुक्ति हेतु चुने गए उम्मीदवारों को दो वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षा पर रखा जाएगा, इस अवधि को आवश्यकतानुसार बढ़ाया जा सकता है।

(ख) केन्द्रीय भू-जल बोर्ड में विहित वेतनमान —

(i) कनिष्ठ जल-भूविज्ञानी—रु० 700-40-900-द० रो०-40-1100-50-1300।

(ii) वरिष्ठ जल-भू-विज्ञानी—रु० 1100-50-1600।

(iii) निदेशक—रु० 1500-60-1800-100-2000।

(iv) मुख्य जल-भू-विज्ञानी—रु० 2250-125/2-2500।

(ग) सरकार द्वारा समय-समय पर आशोधित किये गय भर्ती नियमों के अनुसार विभाग में पदों के उच्चतर ग्रेडों में पदोन्नति की जाएगी।

(घ) सेवा और अवकाश तथा पेंशन की शर्तें वही होंगी जो सरकार द्वारा समय-समय पर आशोधित मूल नियमों तथा सिविल सेवा विनियमों में उल्लिखित है।

(ङ.) सरकार द्वारा समय-समय पर आशोधित सामान्य भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवाएं) नियमावली मे उल्लिखित शर्तों के अनुसार भविष्य निधि की शर्तें लागू होंगी।

(च) केन्द्रीय भू-जल बोर्ड के समस्त अधिकारियों को भारत के किसी भी भाग में या भारत मे बाहर कार्य करना पड़ सकता है।

(2) सहायक जल भू-विज्ञानी ग्रुप ख

(क) नियुक्ति हेतु चुने गये उम्मीदवारों को दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाएगा यदि आवश्यक समझा गया, तो यह अवधि बढ़ाई भी जा सकती है।

(ख) निर्धारित वेतनमान रु० 650-30-740-35-810-द० रो०-35-880-40-1000-द० रो० 40-1200।

(ग) कनिष्ठ जल भू-विज्ञानी (ग्रुप क) के संवर्ग म भर्ती अंशतः संघ लोक सेवा आयोग को प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा और अंशतः समय-समय पर सरकार द्वारा आशोधित भर्ती नियमों के अनुसार विभागीय नियमो पदोन्नति समिति द्वारा केन्द्रीय भू-जल बोर्ड के सहायक जल विज्ञानी के निम्न ग्रेड से पदोन्नति द्वारा की जाएगी।

(घ) सेवा, अवकाश और पेंशन की शर्तें वही होंगी जो सरकार द्वारा समय-समय पर आशोधित मूल नियमों तथा सिविल सेवा विनियमों में उल्लिखित हों।

(ङ.) भविष्य निधि की शर्तें वही होगी जो सरकार द्वारा समय-समय पर आशोधित सामान्य भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवायें) नियमावली मे उल्लिखित हैं।

(च) सहायक जल भू-विज्ञानियों को भारत में या भारत के बाहर कहीं भी कार्य करना पड़ सकता है।

शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय

(संस्कृति विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 4 सितम्बर 1984

संकल्प

सं० फा० 11-1/84 सी० आर० (6)—शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय, संस्कृति विभाग, कुछ समय से दो गांधीवादी संस्थाओं गांधी दर्शन समिति और गांधी स्मृति समिति के विलयन के प्रश्न पर विचार करता रहा है ताकि महात्मा गांधी के आदर्शों आदि को बढ़ावा देने के लिए उन्हें एक ही प्रशासनिक तंत्र के अधीन लाया जा सके। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिये 6 जुलाई, 1984 से "गांधी स्मृति और दर्शन समिति" नामक एक नई समिति स्थापित की गई है जिसका गठन निम्नलिखित प्रकार से होगा :

1.	भारत के प्रधान मंत्री	अध्यक्ष
2.	श्री बी० एन० पांडे	उपाध्यक्ष
3.	प्रभारी मंत्री, संस्कृति विभाग	सदस्य
4.	दिल्ली के महापौर	सदस्य
5.	दिल्ली के उपराज्यपाल	सदस्य
6.	आयुक्त, दिल्ली नगर निगम	सदस्य
7.	अध्यक्ष, नई दिल्ली नगर पालिका	सदस्य
8.	सचिव, शिक्षा मंत्रालय	सदस्य
9.	सचिव, निर्माण तथा आवास मंत्रालय	सदस्य
10.	सचिव (व्यय) वित्त मंत्रालय	सदस्य
11.	प्रधान मंत्री के सूचना सलाहकार	सदस्य
12.	मुख्य इंजीनियर के० लो० नि० वि० नई दिल्ली क्षेत्र	सदस्य
13 से 20.	भारत की प्रधान मंत्री द्वारा मनोनीत किए जाने वाले 8 सदस्य	
21.	संयुक्त सचिव/संयुक्त शिक्षा सलाहकार, संस्कृति विभाग	सदस्य सचिव

2. 'समिति' की वर्ष में कम से कम एक बैठक होगी जो कि इसकी वार्षिक बैठक होगी।

3. समिति के कार्य इस प्रकार होंगे :—

(क) महात्मा गांधी से संबंधित ऐतिहासिक सामग्री प्राप्त करना उसका रखरखाव और परिरक्षण करना ;

(ख) ऐसे नियमों और विनियमों के अनुसार, जो उपयुक्त समझे जाएं। "गांधी स्मृति और दर्शन समिति" को सर्वसाधारण के लिए खुला रखना ;

(ग) गांधी स्मृति और दर्शन समिति को एक वैयक्तिक संग्रहालय के रूप में विकसित करना और स्कूलों तथा कालेजों में छात्रों तक गांधी जी का संदेश पहुंचाने के लिए प्रयास करना ;

(घ) गांधी दर्शन के कार्यकलापों के प्रति समर्पित भारत भर की किसी भी सोसायटी अथवा सार्वजनिक निकाय के विलयन की अनुमति प्रदान करना ;

(ङ) गांधी जी की महत्वपूर्ण स्मृतियों को परिरक्षित करना ;

(च) समिति के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए समितियां या उपसमितियां गठित करना ;

(छ) समिति द्वारा गठित समितियों या उप-समितियों को आवश्यक शक्तियां प्रदान करना ; और

(ज) समिति के लिए नियम, विनियम और उप-नियम तैयार करना और समय-समय पर उनमें अभिवृद्धि करना, उन्हें संशोधित करना, बदलना या रद्द करना।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों और राज्य सरकारों एवं संघीय क्षेत्रों को भेज दी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प को सर्वसाधारण की सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाए।

सी० एल० आनन्द, संयुक्त शिक्षा सलाहकार।

सिंचाई मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 31 अगस्त, 1984

संकल्प

सं० 18/1/80 हिन्दी इस मंत्रालय के दिनांक 26 नवम्बर, 1982 के संकल्प सं० 18/1/80-हिन्दी में आंशिक संशोधन करते हुए निम्नलिखित संशोधित किया जाता है :—

क्रम सं० 8 के सामने "श्री गणपत हीरालाल भगत, संसद सदस्य (राज्य सभा)" के लिए "श्री श्रीकांत वर्मा, संसद सदस्य (राज्य सभा)" पढ़ें।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति सभी राज्य सरकारों, संघ शासित प्रदेशों के प्रशासनों, प्रधान मंत्री सचिवालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, संसद कार्य विभाग, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, योजना आयोग, राष्ट्रपति सचिवालय, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, केन्द्रीय राजस्व के महालेखाकार और भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्व-साधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

अ० प्र० सिंह, संयुक्त सचिव

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 10 सितम्बर 1984

संकल्प

भारतीय रेलों पर केन्द्रीय बुकस्टाल सलाहकार समिति का, जो 26-5-84 के संकल्प सं० 83/टी० जी III/462 के अन्तर्गत गठित की गयी थी, अब नीचे लिखे अनुसार पुनर्गठन किया गया है :—

1.	डा० पी० एल० मल्होत्रा निदेशक, राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, एन० आई० ई० कैम्पस, श्री अरविन्द मार्ग, नयी दिल्ली।	अध्यक्ष
2.	श्री जयपाल नागिया प्रमुख प्रकाशन विभाग, एन० सी० ई० आर० टी० नई दिल्ली।	सदस्य
3.	श्री एम० ए० कृष्णमाचारी, प्रबन्धक (विक्रय एवं विपणन) तथा प्रभारी अधिकारी, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत, दक्षिण क्षेत्रीय कार्यालय दूसरी मंजिल, ईस्टर्न विंग, शापिंग कम्पलेक्स, जयनगर, बेंगलूर 560011।	सदस्य

4. श्री नरेन्द्र नाथ, सदस्य
भारत सरकार के अवर सचिव,
शिक्षा एवं संस्कृति मंत्रालय (शिक्षा विभाग)
नई दिल्ली।

5. श्री एन० के० चौबे, सदस्य सचिव
संयुक्त निदेशक, यातायात वाणि (सा०) II
रेलवे बोर्ड
नयी दिल्ली।

2. इससे इस मंत्रालय के उपर्युक्त संकल्प में आंशिक संशोधन हो जाता है।

3 समिति के विचारार्थ विषय वही रहेंगे जो उपर्युक्त संकल्प में अन्तर्विष्ट हैं।

अजय जौहरी, सचिव, रेलवे बोर्ड
एवं पदेन संयुक्त सचिव

श्रम और पुनर्वास मन्त्रालय

श्रम विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 12 सितम्बर 1984

सं० क्यू० 16012/2/83 डब्ल्यू० ई०—केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के नियमों और विनियमों के नियम 4(IV) और (VI) के साथ पठित नियम 3 (iii) के अनुसरण में, भारत सरकार श्री ए० टी० भोसले, उपाध्यक्ष, इंटक, बम्बई और श्री बी० के० दास निदेशक खनिज और धातु श्रमिक शिक्षा संस्थान, कलकत्ता के स्थान पर क्रमशः श्री पी० सजीवा रेड्डी, उपाध्यक्ष, इंटक हैदराबाद और श्री तारा सिंह वियोगी, विधान सभा सदस्य, ग्वालियर को इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त करती है।

2. तदनुसार, भारत के राजपत्र के भाग 1, खण्ड 1 में प्रकाशित श्रम मंत्रालय की तारीख 8/15 मई, 1981 की अधिसूचना संख्या क्यू० 16012/3/79 डब्ल्यू० ई० में निम्नलिखित परिवर्तन किए जाएंगे।

(i) वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर अर्थात्:—

"14. श्री ए० टी० भोसले,
उपाध्यक्ष, इंटक,
मार्फत राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ,
बम्बई 400012।

15. श्री बी० के० दास, निदेशक,
खनिज और धातु श्रमिक शिक्षा, संस्थान,
लाजपतराय सरानी,
कलकत्ता 700020।"

(ii) निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाए, अर्थात्:—

"14 श्री जी० सजीवा रेड्डी,
उपाध्यक्ष, इंटक,
6/बी एल० आई० जी० एच०
बरकतपुर, हैदराबाद।

15. श्री तारा सिंह वियोगी,
विधान सभा सदस्य,
श्रम शिविर, तानसन मार्ग,
बिरलानगर, ग्वालियर"।

पिशा चोपड़ा, निदेशक

PLANNING COMMISSION

New Delhi, the 30th August 1984

No. O.15011|1|82-SER.—Reference para 1 of the Planning Commision Resolution No. O.15011|1|80-SER dated the 6th August, 1982 and Notification of even number dated 2nd February, 1983.

2. The 'Composition of the Committee' may now be read as follows :

COMPOSITION

Chairman

1. Prof. S. Chakravarty, Delhi University.

Members

2. Dr. C. H. Hanumantha Rao, Member, Planning Commission.
3. Dr. A. M. Khusro, Member, Planning Commission.
4. Dr. D. D. Narula, Member-Secretary, Indian Council of Social Science Research, 35 Ferozeshah Road, New Delhi.
5. Prof. Gautam Mathur, Director, Institute of Applied Manpower Research, Indraprastha Estate, Ring Road, New Delhi.
6. Dr. Y. K. Alagh, Chairman, Bureau of Industrial Costs & Prices, Lok Nayak Bhawan, New Delhi.
7. Dr. Moonis Raza, Director, National Institute of Educational Planning and Administration, 17 B, Sri Aurobindo Marg, New Delhi.
8. Prof. P. C. Joshi, Director, Institute of Economic Growth, Delhi.
9. Prof. G. S. Bhalla, Chairman, Agricultural Prices Commission, Krishi Bhawan, New Delhi.
10. Dr. V. K. Chetty, Indian Statistical Institute, 7 Shaheed Jeet Singh Sansanwal Marg, New Delhi.
11. Shri S. K. Govil, Consultant (Financial Resources), Planning Commission.
12. Dr. S. P. Gupta, Adviser (Perspective Planning), Planning Commission.
13. Dr. (Mrs.) R. Thamarajakshi, Adviser (Labour, Employment & Manpower), Planning Commission.
14. Dr. P. C. Joshi, Adviser (International Economics), Planning Commission.
15. Shri Nitin Desai, Adviser (Project Appraisal Division), Planning Commission.
16. Dr. P. D. Mukherjee, Adviser (Financial Resources), Planning Commission.
17. Shri S. Sundarajan, Jt. Secretary (State Plans), Planning Commission.

Member-Secretary

18. Dr. V. G. Bhatia, Adviser (MPD) Planning Commission.

3. There is no change in the rest of the Resolution.

ORDER

ORDERED that a copy of the Notification be communicated to all concerned and it be published in the Gazette of India for general information.

K. C. AGARWAL, Dir. (Admn.)

MINISTRY OF INDUSTRY

DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

New Delhi, the 1st August 1984

RESOLUTION

No. 07011|3|84-Salt.—The Government of India have decided to reconstitute the Central Advisory Board for Salt. The composition of the reconstituted Central Advisory Board, (hereinafter called "the Board") will be as follows :—

Chairman

1. Shri S. B. P. Pattabhi Rama Rao, Minister of State for Industry, Government of India.

Members

2. Shri Digvijay Sinh, Dy. Minister for Environment, Government of India.
3. Shri G. Venkataramanan, Joint Secretary, Ministry of of Industry, in-charge of 'Salt'.
4. A representative of the Directorate Geenral of Technical Development.
5. Director, Central Salt and Marine Chemicals Research Institute, Bhavnagar.
6. A representative of the Ministry of Labour—Chief Labour Commissioner (Central).
7. Director (Traffic Transportation), Ministry of Railways.
8. Adviser (Nutrition), Ministry of Health and Family Welfare.
9. Shri S. C. Shelat, Industries Commissioner, Government of Gujarat.
10. Secretary, Deptt. of Industries, Govt. of Tamilnadu.
11. Secretary, Deptt. of Industries, Govt of Rajasthan.
12. Secretary, Deptt. of Industries, Govt. of Andhra Pradesh.
13. A representative of the Government of Assam.
14. A representative of the Government of Bihar.

Salt Manufacturers from States :—

Gujarat

15. Mr. Tanna, President of the Indian Salt Mfrs. Association, Bombay
16. Shri Kumudbhai Shah, Salt Mfr. Dhrangadhra (Gujarat Chamber of Commerce).

Tamil Nadu

17. Shri M. M. Subramanian, Tuticorin Salt & Marine Chemicals Ltd., Tuticorin.

Andhra Pradesh

18. Shri A. Suryanarayana Rao,
Andhra Pradesh Salt Manufacturers Association,
Visakhapatnam.

West Bengal

19. Shri Samarendra Datta,
Managing Director, M|s. Bengal Salt Co.
12-B, Netaji Subhas Road, Calcutta-700 002.

Maharashtra

20. Shri A. H. Bhiwandiwalla,
Salt Manufacturer, 583, Chira Bazar, Bombay-400 002.

Orissa

21. The Managing Director,
M|s. East Coast Salt & Chemical Inds. Ltd.
Bhubaneswar (Orissa).

Rajasthan

22. Chairman-cum-Managing Director,
Hindustan Salts Ltd., Jaipur.

Persons having knowledge and experience of salt manufacturing co-operative societies

23. Shri M. S. Selvarajan, President,
Arumuganeri Salt Workers' Co-operative Production & Sale Society Ltd., Arumuganeri.
24. Shri Vajubhai Mehta, President,
Gujarat Rajya Mith Utpadak Sahakari Sangh Ltd.,
Derasar Road, Surendernagar, Gujarat.

Person representing Alkali Manufacturers

25. Shri R. V. Ramani Managing Director,
M.C.I.C., Mettur Dam.

Persons having knowledge and experience of public affairs and labour problems

26. Shri Desav Dalmia, Secretary,
Bharat Chamber of Commerce
28, Hemanta Basu Sarani,
Calcutta.
27. Dr. K. Ramesh,
798, Vth Main Road,
Vijaynagar, Bangalore.

(Nomination of Members of Parliament to be notified later)

Member-Secretary

28. Shri P. Subramanian,
Salt Commissioner.

Note :—Representatives of the Ministries of Shipping and Transport and Commerce and State Trading Corporation may be invited to attend the meeting of the Board whenever necessary.

All members of Parliament who are the members of the Regional Advisory Boards for Salt may attend the meetings of the Board.

3. The functions of the Central Advisory Board will be to advise the Government of India on the administration of proceeds of the Salt Cess levied under Sction 3 of the Salt Cess Act, 1953, and to make recommendations generally for measures conducive to the development of the salt industry, e.g.

(i) Establishment and maintenance of research Stations, model farms and salt factories;

(ii) fixing the grades of salt and improving its quality;

(iii) development of exports

(iv) promoting and encouraging co-operative efforts among the manufacturers of salt;

(v) any other matter pertaining to the development of salt industry;

(vi) promoting the welfare of labour employed in the salt industry.

4. (a) The Board will have a term of 3 years w.e.f. 1-8-1984

(b) If the seat of a non-official member falls vacant, the Central Government shall make fresh nomination to fill up the vacancy for the unexpired portion of the term of the Board.

5. (a) If a nominated member is not in a position to attend the meeting, he will intimate the fact in writing to the Chairman of the Board.

(b) The quorum for a meeting of the Board shall be three.

(c) Every non-official member attending the meeting of the Board or of a sub-comittee duly constituted by the Board shall be entitled to travelling allowance and daily allowance as admissible under the rules or as approved by Central Government from time to time.

(d) The Salt Commisioner, Jaipur will be the controlling officer for the purpose of counter-signing of the travelling and daily allowance bills of the non-official members.

(e) A non-official member may resign his office by a letter addressed to the Chairman of the Board.

(f) If a non-official member leaves India, he shall intimate to the Chairman of the Board, before leaving India, the date of his departure from and the date of his expected return to India, and, if he intends to be absent from India for a period longer than six months, he shall tender his resignation. If any such member leaves India without complying with the above, he shall be deemed to have resigned with effect from the date of his departure from India.

(g) A member shall be declared by the Chairman of the Board to have vacated his office :—

(i) if he becomes insolvent, or

(ii) if he is convicted of any offence, which, in the opinion of the Central Government, involves moral turpitude, or

(iii) if he is absent from three consecutive meetings of the Board without leave of absence from its Chairman, or

(iv) if, in the opinion of the Central Government it is undesirable that he should continue to be a member of the Board.

(h) The Secretary of the Board, with the approval of the Chairman of the Board, may invite one or more non-official members of the Regional Advisory Boards for Salt or other persons to attend any meeting of the Board, and such members or persons shall be entitled to travelling allowance etc. as indicated under clause (c).

(i) The Board shall meet at such place and time as may be appointed by the Chairman.

(j) A notice shall be given to every member present in India of the time and place fixed for each ordinary meeting at least 15 days before such meeting and each member shall be furnished with a list of business to be disposed of at that meeting.

(k) Provided that when an emergent meeting is called by the Chairman, such notice shall not be necessary.

(l) No business which is not on the list, shall be considered by a meeting without the prior permision of the Chairman of the Board.

(m) The Chairman shall preside over the meeting of the Board at which he is present. If the Chairman is absent from any meeting, the Members shall elect a member as Chairman and the member so elected shall, at that meeting exercise all the powers of the Chairman.

(n) Every question at a meeting of the Board shall be decided by a majority of votes of the members present and voting on that question. In the case of an equal division of votes, the Chairman shall give an additional vote.

(o) The proceedings of each meeting of the Board shall be circulated to all members present in India and thereafter recorded in a Minute Book, which shall be kept for permanent record.

The record of the proceedings of each meeting shall be signed by the Chairman of the Board.

(p) Proposals for a expenditure in a Region to be met from the proceeds of the Cess shall be considered first by the Regional Board, for this purpose, preliminary estimates detailing the proposals and its estimated cost together with other necessary data shall be prepared by the Regional Officers. The proposals together with the Regional Board's recommendation shall then be considered by the Central Board.

Works of developmental nature and Labour Welfare, costing up to Rs. 1,00,000/- each, may be approved for execution by the Regional Boards themselves without referring them to the Central Advisory Board for their final recommendations.

(q) The recommendations of the Central Advisory Board sahll be submitted to the Central Government for acceptance after which detailed estimates shall be prepared. The estimates shall be sanctioned by competent authority.

(r) No act or proceeding of the Board shall be called in question on the ground merely of the existence of any vacancy in, or defect in the constitution of the Board.

ORDER

ORDERED that this Resolution be communicated to all State Governments, All Ministries of the Government of India, Planning Commission, Cabinet Secretariat and Prime Minister's Office.

2. ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India, Part I, Section 1.

G. VENKATARAMAN, Jt. Secy.

MINISTRY OF STEEL AND MINES

New Delhi, the 6th October 1984

RULES

No. A-12025/2/84-M.2.—The rules for a competitive examination to be held by the Union Public Service Commission in 1985 for the purpose of filling vacancies in the following posts are, with the concurrence of Ministry of Irrigation, published for general information :—

Category I (Posts in the Geological Survey of India, Ministry of Steel and Mines).

(i) Geologist (Junior), Group A and

(ii) Assistant Geologist Group B

Category II (Posts in the Central Ground Water Board, Ministry of Irrigation).

(i) Junior Hydrogeologist, Group A

(ii) Assistant Hydrogeologist, Group B

1. A candidate may compete in respect of any one or both the categories of posts mentioned above. He should clearly indicate in his application the posts for which he wishes to be considered in the order of preference.

No request for alteration in the preferences indicated by a candidate in respect of posts covered by the category/ categories for which he is competing would be considered unless the request for such alteration is received in the office of the Union Public Service Commission within 30 days of the date of publication of the result of the written examination in the Employment News.

2. Appointments on the results of the examination will be made on a temporary basis in the first instance. The candidates will be eligible for permanent appointment in their turn as and when permanent vacancies become available.

3. The number of vacancies to be filled on the results of the examination will be specified in the Notice issued by the Commission. Reservation will be made for candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in respect of vacancies as may be fixed by the Government.

4. The examination will be conducted by the Union Public Service Commission in the manner prescribed in Appendix 1 to these Rules.

The dates on which and the places at which the examination will be held shall be fixed by the Commission.

or from Zambia, Malawi, Zaire and Ethiopia and Vietnam with the intention of permanently settling in India.

Provided that a candidate belonging to categories (b), (c), (d) and (e) above shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government of India.

A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to the examination but the offer of appointment may be given only after the necessary eligibility certificate has been issued to him by the Government of India.

6. (a) A candidate for this examination must have attained the age of 21 years and must not have attained the age of 30 years on 1st January 1985 i.e. he must have been born not earlier than 2nd January 1955, and not later than 1st January 1964.

(b) the upper age limit will be relaxable upto a maximum of 7 years in the case of Government servants if they are employed in a Department mentioned in column I below and apply for the corresponding post(s) mentioned in column II.

Column I	Column II
Geological Survey of India	Geologist (Junior), Group A. Assistant Geologist, Group B.
Central Ground Water Board	Junior Hydrogeologist, Group A. Assistant Hydrogeologist, Group B.

(c) The upper age limits prescribed above will be further relaxable :—

(i) up to a maximum of five years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe;

(ii) up to a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* displaced person from erstwhile East Pakistan (now Bangladesh) and had migrated to India during the period between 1st January, 1964 and 25th March, 1971;

(iii) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* displaced person from erstwhile East Pakistan (now Bangladesh) and had migrated to India during the period between 1st January 1964 and 25th March 1971;

(iv) up to a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* repatriate or a prospective repatriate of Indian origin from Sri Lanka and has migrated to India on or after 1st November, 1964 or is to migrate to India under the Indo-Ceylon Agreement of October, 1964;

(v) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* repatriate or a prospective repatriate of Indian origin from Sri Lanka and has migrated to India on or after 1st November, 1964 or is to migrate to India under the Indo-Ceylon Agreement of October, 1964;

(vi) up to a maximum of three years if a candidate is of Indian origin and has migrated from Kenya, Uganda, and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar) or is a repatriate of Indian origin from Zambia, Malawi, Zaire and Ethiopia;

(vii) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste, or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* repatriate of Indian origin and has migrated from Kenya, Uganda, and the United Republic of Tanzania, (foremerly Tanganykia and Zanzibar) or is a repatriate of Indian origin from Zambia, Malawi, Zaire and Ethiopia;

(viii) up to a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* repatriate of Indian origin from Burma and has migrated to India on or after 1st June, 1963;

(ix) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* repatriate of Indian origin from Burma and has migrated to India on or after 1st June, 1963;

(x) up to a maximum of three years in the case of Defence Services personnel disabled in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area and released as a consequence thereof;

(xi) up to a maximum of eight years in the case of Defence Services personnel disabled in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area and released as a consequence thereof, who belong to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes;

(xii) up to a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* repatriate of Indian origin (Indian Passport holder) as also a candidate holding emergency certificate issued to him by the Indian Embassy in Vietnam and who arrived in India from Vietnam not earlier than July 1975;

(xiii) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* repatriate of Indian origin (Indian Passport holder) as also a candidate holding emergency certificate issued to him by the Indian Embassy in Vietnam and who arrived in India from Vietnam not earlier than July 1975;

(xiv) up to a maximum of five years in the case of ex-servicemen and Commissioned Officers including ECOs/SSCOs who have rendered at least five years Military Service as on 1st January 1985 and have been released on completion of assignment (including those whose assignment is due to be completed within six months from 1st January 1985) otherwise than by way of dismissal or discharge on account of misconduct or inefficiency, or on account of physical disability attributable to Military Service or on invalidment;

(xv) up to maximum of ten years in the case of ex-servicemen and Commissioned Officers including ECOs/SSCOs who have rendered at least five years Military Service as on 1st January 1985 and have been released on completion of assignment (including those whose assignment is due to be completed within six months from 1st January 1985) otherwise than by way of dismissal or discharge on account of misconduct or inefficiency or on account of physical disability attributable to Military Service or on invalidment, who belong to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes;

(xvi) up to a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* displaced person from erstwhile West Pakistan and had migrated to India during the period between 1st January, 1971 and 31st March, 1973;

(xvii) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* displaced person from erstwhile West Pakistan and had migrated to India during the period between 1st January, 1971 and 31st March, 1973.

SAVE AS PROVIDED ABOVE THE AGE LIMITS PRESCRIBED CAN IN NO CASE BE RELAXED.

N.B.—(i) The candidature of a person who is admitted to the examination under the age concession mentioned in Rule 6(b) above, shall be cancelled, if after submitting his application, he resigns from service or his services are terminated by his department/office, either before or after taking the examination. He will, however, continue to be eligible if he is retrenched from the service or post after submitting the application.

(ii) A candidate who, after submitting his application to his department is transferred to other department/office will be eligible to compete under departmental age concession for the post(s), for which he would have been eligible, but for his transfer, provided his application, duly recommended, has been forwarded by his parent Department.

7 A candidate must have—

(a) Master's degree in Geology or Applied Geology or Marine Geology from a University incorporated by an Act of the Central or State Legislature in India or other educational Institutes established by an Act of Parliament or declared to be deemed as Universities under Section 3 of the University Grants Commission Act 1956; or

(b) Diploma of Associateship in Applied Geology of the Indian School of Mines, Dhanbad; or

(c) Master's degree in Mineral Exploration from a recognised University (for posts in the Geological Survey of India only); or

(d) Master's degree in Hydrogeology from a recognised University (for posts in the Central Ground Water Board only).

NOTE I—A candidate who has appeared at an examination the passing of which would render him eligible to appear at this examination, but has not been informed of the result may apply for admission to the examination. A candidate who intends to appear at such a qualifying examination may also apply. Such candidates will be admitted to the examination, if otherwise eligible, but the admission would be deemed to be provisional and subject to cancellation if they do not produce proof of having passed the examination as soon as possible, and in any case not later than 31st July, 1985.

NOTE II—In exceptional cases, the Commission may treat a candidate who has not any of the qualifications prescribed in this rule, as educationally qualified provided that he has passed examinations conducted by other institutions, the standard of which in the opinion of the Commission, justifies his admission to the examination.

NOTE III.—A candidate who is otherwise eligible but who has taken a degree from a foreign University may also apply to the Commission and may be admitted to the examination at the discretion of the Commission.

8 Candidates must pay the fee prescribed in para 6 of the Commission's Notice.

9. All candidates in Government service, whether in a permanent or in temporary capacity or as work-charged employees, other than casual or daily-rated employees, or those serving under Public Enterprises will be required to submit an undertaking that they have informed in writing, their Head of Office/Department that they have applied for the Examination.

Candidates should note that in case a communication is received from their employers by the Commission withholding permission to the candidates applying for/appearing at the examination, their application shall be rejected/candidature shall be cancelled.

10. The decision of the Commission as to the eligibility, or otherwise of a candidate for admission to the examination shall be final.

11. No candidate shall be admitted to the examination unless he holds a certificate of admission from the Commission.

12. A candidate who is or has been declared by the Commission to be guilty of—

(i) obtaining support for his candidature by any means; or

(ii) impersonating; or

(iii) procuring impersonation by any person; or

(iv) submitting fabricated documents or documents which have been tampered with; or

(v) making statements which are incorrect or false, or suppressing material information; or

(vi) resorting to any other irregular or improper means in connection with his candidature for the examination; or

(vii) using unfair means during the examination; or

(viii) writing irrelevant matter, including obscene language or pornographic matter, in the script(s); or

(ix) misbehaving in any other manner in the examination hall; or

(x) harassing or doing bodily harm to the staff employed by the Commission for the conduct of their examination; or

(xi) violating any of the instructions issued to the candidates along with their Admission Certificates permitting them to take the examination; or

(xii) attempting to commit or as the case may be, abetting the commission of all or any of the acts specified in the foregoing clauses;

may, in addition to rendering himself liable to criminal prosecution be liable—

(a) to be disqualified by the Commission from the examination for which he is a candidate; or

(b) to be debarred either permanently or for a specified period—

(i) by the Commission, from any examination or selection held by them;

(ii) by the Central Government from any employment under them; and

(c) if he is already in service under Government, to disciplinary action under the appropriate rules.

Provided that no penalty under this rule shall be imposed except after—

(i) giving the candidate an opportunity of making such representation in writing as he may wish to make in that behalf; and

(ii) taking the representation, if any, submitted by the candidate, within the period allowed to him into consideration.

13. Candidates who obtain such minimum qualifying marks in the written examination as may be fixed by the Commission in their discretion shall be summoned by them for an interview for a personality test.

Provided that candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes may be summoned for an interview for a personality test by the Commission by applying relaxed standards if the Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities are not likely to be summoned for interview for a personality test on the basis of the general standard in order to fill up the vacancies reserved for them

14. After the examination the candidates will be arranged by the Commission in the order of merit as disclosed by the aggregate marks finally awarded to each candidate and in that order so many candidates as are found by the Commission to be qualified by the examination shall be recommended for appointment up to the number of unreserved vacancies decided to be filled on the results of the examination.

Provided that candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes may, to the extent the number of vacancies reserved for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes cannot be filled on the basis of the general standard, be recommended by the Commission by a relaxed standard to make up the deficiency in the reserved quota, subject to the fitness of these candidates for appointment to the Service, irrespective of their ranks in the order of merit at the examination.

15. The form and manner of communication of the result of the examination to individual candidates shall be decided by the Commission in their discretion and the Commission will not enter into correspondence with them regarding the result.

16. Due consideration will be given at the time of making appointments on the results of the examination to the preferences expressed by a candidate for the various posts at the time of his application.

17. Success in the examination confers no right to appointment unless Government are satisfied after such enquiry as may be considered necessary, that the candidate, having regard to his character and antecedents, is suitable in all respects for appointment to the post.

18. A candidate must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the discharge of the duties of the post. A candidate who after such medical examination as Government or the appointing authority, as the case may be, may prescribe is found not to satisfy those requirements, will not be appointed. Only candidates who are likely to be considered for appointment

will be physically examined. Candidates will have to pay a fee of Rs. 16.00 to the Medical Board concerned at the time of the Medical examination.

NOTE :—In order to prevent disappointment candidates are advised to have themselves examined by a Government Medical Officer of the standing of a Civil Surgeon before applying for admission to the examination. Particulars of the nature of the medical test to which candidates will be subjected before appointment to Gazetted posts and of the standards required are given in Appendix II. For the disabled ex-Defence Services personnels, the standards will be relaxed consistent with the requirements of the posts.

19. No person—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to service.

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

20. Brief particulars relating to the posts to which recruitment is being made through this examination are given in Appendix III.

H. L. ATTRI, Under Secy.

APPENDIX I

1. The examination shall be conducted according to the following Plan :—

PART I—Written examination in the subjects as set out in para 2 below.

PART II—Interview for Personality Test of such candidates as may be called by the Commission, carrying a maximum of 200 marks (see para 7 below).

(c) The upper age limits prescribed above will be further relaxable :—

Subject	Code No.	Duration	Maximum Marks
1	2	3	4
(1) General English	01	1½ hrs.	100
(2) Geology Paper I, comprising General Geology, Geomorphology, Structural Geology, Stratigraphy and Palaeontology	02	3 hrs.	200
(3) Geology Paper II, comprising Crystallography, Mineralogy, Petrology and Geo-Chemistry.	03	3 hrs.	200
(4) Geology Paper III, comprising Indian Mineral Deposits, Mineral Exploration, Mineral Economics and Economic Geology.	04	2 hrs.	150
(5) Hydrogeology	05	2 hrs.	105

NOTE :—Candidate competing for posts under both category I and category II will be required to offer all the five subjects mentioned above. Candidates competing for posts under category I only will be required to offer subjects at (1) to (4) above and candidates competing for posts under category II only will be required to offer subjects at (1) to (3) and (5) above.

3. The examination in all the subjects will be completely of objective multiple choice answer) type. For details including Sample Questions, please see "Candidates' information Manual" at Annexure II to the Commission's Notice.

4. The standard and syllabus of the examination will be as shown in the Schedule.

5. Candidates must write the papers in their own hand. In no circumstances will they be allowed the help of a scribe to write answers for them.

6. The Commission have discretion to fix qualifying marks in any or all the subjects of the examination.

7. Candidates are not permitted to see calculators for answering objective type papers (Test Booklets). They *should not*, therefore, bring the same inside the Examination Hall.

8. Special attention will be paid in the Personality Test to assessing the candidate's capacity for leadership, initiative and intellectual curiosity, tact and other social qualities, mental and physical energy, powers of practical application, integrity of character and aptitude for adapting themselves to the field life.

SCHEDULE

STANDARD AND SYLLABUS

The standard of the paper in General English will be such as may be expected of a science graduate. The papers on geological subjects will be approximately of the M.Sc. degree standard of an Indian University and questions will generally be set to test the candidate's grasp of the fundamentals in each subject.

(1) GENERAL ENGLISH (Code 01)

Questions to test the understanding of and the power to write English

(2) GEOLOGY PAPER I (Code 02)

A. *General Geology.*—Origin of the Earth, Continents and Oceans—their distribution, evaluation and origin. Continental drift, ocean spreading and concept of plate-tectonics, Palaeoclimates and their significance. Isostasy. Palaeomagnetism Radioactivity and its application to geology. Geochronology and age of the Earth. Seismology and interior of the Earth Geosynclines. Volcanism. Island arcs, deep-sea trenches and midoceanic ridges. Coral reefs. Orogeny and epeirogency. Organic cycles.

B. *Geomorphology.*—Geomorphic processes, features and their parameters. Geomorphic cycles and their interpretations. Topography and its relation to structures. Soils,

C. *Structural Geology*.—Physical properties of rocks. Deformation; Faulting and folding—their mechanics. Primary structures. Lineation, foliation and joints. Plutons, diapirs and salt domes. Recognition of top and bottom of beds Un-conformities. Diastrophism. Petrofabric analysis.

D. *Stratigraphy*.—Principles of stratigraphy and nomenclature. Outlines of world stratigraphy and palaeogeography. Type section of the various geological systems. Gondwana System and Gondwanaland.

Stratigraphy and Palaeogeography of the Indian sub-continents (India, Pakistan and Bangladesh). Correlation of the major Indian formations Age problems in Indian stratigraphy.

E. *Palaeontology*.—(a) Fossils, their nature, modes of preservation and uses. Morphology, classification and geological history of the invertebrates: corals brachiopads, lamellibranch ammonites, gastropeds, trilobites, echioderms, graptolites and foraminifers.

(b) Principal groups of vertebrates with emphasis on Gondwana and Siwalik faunas. Evolutionary histories of man, elephant and horse.

(c) Fossil flora with emphasis on Gondwana flora and its significance and distribution.

(d) Micropalaeontology, its importance with special reference to foraminiferids, their ecology and palaeoecology.

(3) GEOLOGY PAPER II (Code 03)

A. *CRYSTALLOGRAPHY*

Symmetry elements and classification of crystals. Projections—Spherical and Stereographic; 32 classes (Point groups). Twinning and crystal imperfections

B. *DESCRIPTIVE MINERALOGY*

Physical, chemical, electrical, magnetic and thermal properties of minerals. Structure and classification of silicates.

Olivine group Garnet group, Epidote group and Melilite group. Zircon. Sphene. Silimanite, Andalusite. Kyanite. Toroz, Staurolite. Beryl. Cardierite, Tourmaline. Pyrozene group and Amphibole group. Wollastonite and Rhodonite. Mica Group. Chlorite group and Clay minerals. Feldspar group. Silica minerals Feldspathoid group. Geolite group and Scapolite group Oxides, Hydroxides, Carbonates, Phosphates, Halides, Sulphides and Sulphates.

C. *OPTICAL MINERALOGY*

General principles of optics. Optical accessories, Refringence, Birefringence, Extinction angle. Pleochroism Optical ellipsoids. Optical axial angle Optic orientation. Dispersion Optic anomalies.

D. *PETROLOGY*

(i) *Igneous*: Forms, structures, texture and classification Granite-Granedior-Diorite. Syenite-Nepheline Syenite. Gabbro-Peridotite-Dunite Dolerite Lamprophyre, Pegmatite, Aplite, Ijolite and Carbonatite. Rhyolite, Trachyte, Dacite. Andesite and Basalt.

Phase rule and equilibrium in silicate system. Two component and three-component systems. Order of Crystallisation. Reaction principle. Crystallisation of magmas. Diversity Variation diagrams. Origin of granites, monomineralic and alkaline rocks, carbonatites, pegmatites and lamprophyres.

(ii) *Sedimentary*: Classification and composition. Origin of sediments. Textures and structures. Study of important groups of sedimentary rocks. Mechanical analysis of sediments. Methods of deposition. Palaeocurrents and basis analysis. Provenance of sediments. Depositional environment. Heavy minerals and their significance. Lithification and diagenesis.

(iii) *Metamorphic*: Agents, types, controls, structures, grades and facies of metamorphism. Metamorphic differentiation Metasomatism and granitisation. Migmatites, granulites, charnockkites, amphibolites, schists, gneisses and hornfels. Metamorphism in relation to magma and orogeny.

E *GEOCHEMISTRY*

Cosmic abundances of elements, primary geochemical differentiation of the Earth; geochemical classification of the elements. Trace elements, Geochemistry of water. Geochemistry of sediments, geochemical cycle and principles of geochemical prospecting.

(4) GEOLOGY PAPER III (Code 04)

A. *INDIAN MINERAL DEPOSITS*

Indian deposits of the following metallic and non-metallic ores and minerals with reference to their distribution, mode of occurrence and origin:

(a) Copper, Lead, Zinc. Aluminimum, Magnesium, Iron Manganese, Chromium, Gold, Silver Tungsten and Molybdenum.

(b) Mica, Vermiculite, Asbestos, Barytes, Graphite, Gypsum Ochre. Precious and Semi-precious minerals, refractory minerals, abrasives and minerals for ceramics, glass, fertiliser-cement paint and pigment industries and building stones.

(c) Coal, petroleum natural gas and atomic energy minerals

B. *MINERAL EXPLORATION*

Methods of surface and sub-surface exploration field equipment and field tests used for exploration, guides for locating ore deposits. Sampling assaying and evaluation of ore deposits Application of geophysical geochemical and geobotanical surveys in mineral exploration.

C *MINERAL ECONOMICS*

Significance of minerals in national economy Use of various minerals in manufacturing industries. Demand, supply and substitutes. Production and price of major minerals in India International aspects of Mineral industries Strategic, critical and essential minerals. Conserva-

tion and national mineral policy. India's status in mineral production.

D. *ECONOMIC GEOLOGY*

Mineral deposits—processes of formation, controls of localisation and classification. Study of important metallic and non-metallic minerals with reference to their mineralogy, mode of occurrence and distribution.

(5) HYDROGEOLOGY (Code 05)

Hydrological cycle. Distribution of water in the earth's crust. Ground Water in hydrological cycle. Origin of ground water, meteoric, juvenile and magmatic waters, springs. Classification of rocks with respect of water bearing characteristics, Hydro-stratigraphic units. Geological structures favouring ground water occurrence. Ground water provinces. Ground water reservoirs—Aquifers, acquicludes acquitards. Classification of aquifers.

Hydrological properties of rocks (Ground water reservoirs) porosity, void ratio, permeability, transmissivity, storativity, specific yield, specific retention, diffusivity. Methods of identification of ground water reservoir properties—Permeability and specific yield|storativity by discharging well methods and laboratory techiniques Forces causing ground water movement. Laws of ground water movement—Darcy's law. Ground water recharge—artificial and natural, factors controlling recharge conjunctive and consumptive use of ground water.

Surface and sub-surface techniques of ground water exploration—geological and geophysical—water balance. Techniques of ground water extraction (Types of wells, methods of well construction in different types of rocks for best yield). Chemical characteristics of ground water in relation to various uses—domestic, industrial and irrigational. Water pollution.

APPENDIX II

REGULATIONS RELATING TO THE PHYSICAL EXAMINATION OF CANDIDATES

[These regulations are published for the convenience of candidates and in order to enable them to ascertain the probability of their coming upto the required physical standard. The regulations are also intended to provide guidelines to the medical examiners and a candidate who does not satisfy the minimum requirements prescribed in the regulations cannot be declared fit by the medical examiners. However, while holding that a candidate is not fit according to the norms laid down in these regulations, it would be permissible or a Medical Board to recommend to the Government of India for reasons specifically recorded in writing that he may be admitted to service without disadvantage to Government.

It should, however, be clearly understood that the Government of India reserve to themselves, absolute discretion to reject or accept any candidate after considering the report to the Medical Board. For the disabled ex-Defence Services Personnel the standards will be relaxed consistent with the requirements of the posts.]

1. To be passed as fit for appointment a candidate must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to intrefere with the efficient performance of the duties of his appointment.

2. In the matter of the correlation of age, height and chest girth of candidates of Indian (including Anglo-Indian) race, it is left to the Medical Board to use whatever correlation figures are considered most suitable as a guide in the examination of the candidates, if there be any disproportion with regard to height, weight, and chest girth, the candidate should be hospitalised for investigation and X-ray of the chest taken before the candidate is declared fit or not fit by the Board

3. The candidate's height will be measured as follows :—

He will remove his shoes and be placed against the standard with his feet together and the weight thrown on the heels and not on the toes or other sides of the feet. He will stand erect without rigidity and with the heels, calves, buttocks and shoulders touching the standard; the chin will be depressed to bring the vertex of the head-level under the horizontal bar, and the height will be recorded in centimetres and parts of a centimetre to halves.

4 The candidate's chest will be measured as follows :—

He will be made to stand erect with his feet together and to raise his arms over his head The tape will be so adjusted round the chest that its upper edge touches the inferior angles of the shoulder blades behind and lies in the same horizontal plane when the tape is taken round the chest. The arms will then be lowered to hang loosely by the side and care will be taken that the shoulders are not thrown upwards or backwards so as to displace the tape. The candidate will then be directed to take a deep inspiration several times and the maximum expansion of the chest will be carefully noted and the minimum and maximum will then be recorded in the centimetres thus 84-89, 86-93.5 etc. In recording the measurements fractions of less than half a centimetre should not be noted.

N.B.—The height and chest of the candidate should be measured twice before coming to a final decision

5. The candidate will also be weighed and his weight recorded in Kilogram; fraction of half a Kilogram should not be noted

6. The candidate's eye-sight will be tested in accordance with following rules. The result of each test will be recorded.

(1) *General.*—The candidate's eye will be submitted to a general examination directed to the detection of any disease or abnormality. The candidate will be rejected if he suffers from any squint or morbid

conditions of eyes, eyelids or contiguous structures of such a sort as to render or are likely at a future date to render him unfit for service.

(ii) *Visual Acuity* —The examination for determining the acuteness of vision includes two tests, one of the distant, the other for near vision Each eye will be examined separately

There shall be limit for minimum naked eye vision but the naked eye vision of the candidate shall, however, be recorded by the Medical Board or other medical authority in every case as it will furnish the basic information in regard to the condition of the eye

The standard for distant and near vision with or without glasses shall be as follows —

Distant Vision		Near Vision	
Better eye	Worse eye	Better eye	Worse eye
6/9 or 6/6	6/9 or 6/12	0 6	0 8

NOTE(1)—Total amount of Myopia (including the cylinder) shall not exceed —4 00D The total amount of Hypermetiopia (including the cylinder) shall not exceed +4 00D

NOTE (2)—*Fundus Examination* Wherever possible fundus examination will be carried out at the discretion of the Medical Board and results recorded

NOTE (3)—*Colour vision* (i) The testing of colour vision shall be essential

(ii) Colour perception should be graded into a higher and a lower grade depending upon the size of the aperture in the lantern as described in the table below —

Grade	Higher Grade of Colour perception	Lower Grade of Colour perception
1 Distance between the lamp and candidate	4 9 metres	4 9 metres
2 Size of aperture	1 3 mm	13 mm
3. Time of exposure	5 Sec	5 Sec

For the services concerned with safety of the Public, e g, pilots, drivers, guards, etc, the higher grade of colour vision is essential but for others the lower grades of colour vision should be considered sufficient The same standards of colour vision should be applicable in respect of all engineering personnel in whose case colour perception is considered essential irrespective of the fact whether their duties involve field work or not

(iii) Satisfactory colour vision constitutes recognition with ease and without hesitation of signal red, signal green and white colours The use of Ishihara's plates, shown in good light and a suitable lantern like edrige green shall be considered quite dependable for testing colour vision While either of the two tests may ordinarily be considered sufficient, in respect of the services concerned with road, rail and air traffic, it is essential to carry out the lantern test. In doubtful cases where a candidate fails to qualify when tested by only one of the two tests, both the tests should be employed

NOTE (4) *Field of vision* —The field of vision shall be tested by the confrontation method Where such test gives unsatisfactory or doubtful result the field of vision should be determined on the perimeter.

NOTE (5) —*Night Blindness* —Night blindness need not be tested as a routine, but only in special cases No standard test for the testing of night blindness or dark adaptation is prescribed The Medical Board should be given the discretion to improvise such a rough test, e g, recording of visual acuity with reduced illumination or by making the candidate recognise various objects in a darkened room after he/she has been there for 20 to 30 minutes Candidates' own statements should not always be relied upon but they should be given due consideration

NOTE (6) —(a) *Ocular conditions other than visual acuity* —Any organic disease or a progressive refractive error which is likely to result in lowering the visual acuity should be considered as a disqualification

(b) *Trachoma* —Trachoma unless complicated shall not ordinarily be a cause for disqualification

(c) *Squint* —Where the presence of binocular vision is essential, squint, even if the visual acuity is of a prescribed standard, should be considered as a disqualification

(d) *One-eyed persons.*—The employment of one-eyed individuals is not recommended

7 *Blood Pressure*

The Board will use its discretion regarding Blood Pressure A rough method of calculating normal maximum systolic pressure is as follows :—

(i) With young subjects 15-25 years of age the average is about 100 plus the age

(ii) With subjects over 25 years of age the general rule of 110 plus half the age seems quite satisfactory.

N.B.—As a general rule any systolic pressure over 140 mm and diastolic over 90 mm should be regarded as suspicious and the candidates should be hospitalised by the Board before giving their final opinion regarding the candidate's fitness or otherwise. The hospitalisation report should indicate whether the rise in blood pressure is of a transient nature due to excitement etc. or whether it is due to any organic disease. In all such cases X-ray and electro-cardiographic examinations of heart and blood urea clearance test should also be done as a routine. The final decision as to the fitness or otherwise of a candidate will, however, rest with the Medical Board only.

Method of taking Blood Pressure

The mercury manometer type of instrument should be used as a rule. The measurement should not be taken within fifteen miuntes of any exercise or excitement. Provided the patient and particularly his arm is relaxed, he may be either lying or sitting. The arm is supported comfortably at the patient's side in a more or less horizontal position. The arm should be freed from clothes to the shoulder. The cuff completely deflated, should be applied with the middle of the rubber over the inner side of the arm and its lower edge an inch or two above the bend of elbow. The following turns of cloth bandage should spread evenly over the bag to avoid bulging during inflation.

The brachial artery is located by palpitation at the bend of the elbow and the stethoscope is then applied slightly and centrally over it below, but not in contact with the cuff. The cuff is inflated to about 200 mm. Hg. and then slowly deflated. The level at which the column stands when soft successive sounds are heard represents the systolic pressure. When more air is allowed to escape the sounds will be heard to increase in intensity. The level at which the well-heard clear sounds change to soft muffled fading sounds represents the diastolic pressure. The measurement should be taken in a fairly brief period of time as prolonged pressure of the cuff is irritating to the patient and will vitiate the readings Rechecking if necessary, should be done only a few minutes after complete deflation of the cuff. (Sometimes, as the cuff is deflated sounds are heard at a certain level; they may disappear as pressure falls and reappear at still lower level. This silent Gap may cause error in reading).

8. The urine (passed in the presence of the examiner) should be examined and the result recorded. Where a Medical Board finds sugar present in a candidate's urine by the usual chemical test, the Board will proceed with the examination with all its other aspects and will also specially note any signs or symptoms suggestive of diabetes. If except for the glycosuria, the Board finds the candidate conforms to the standard of medical fitness required they may pass the candidate "fit subject to the glycosuria being non-diabetic" and the Board will refer the case to a specified specialist in Medicine who has hospital and laboratory facilities at his disposal. The Medical specialist will carry out whatever examination clinical and laboratory he considers necessary including a standard blood sugar tolerance test and, will submit his opinion to the Medical Board, upon which the Medical Board will base its final opinion "fit" or "unfit". The candidate will not be required to appear in person before the Board on the second occasion. To exclude the effects of medication it may be necessary to retain a candidate for several days in hospital under strict supervision.

9. A woman candidate who as a result of test is found to be pregnant of 12 weeks standing or over, should be declared temporarily unfit until the confinement is over. She should be re-examined for a fitness certificate six weeks after the date of confinement subject to the production of a medical certificate of fitness from a registered medical practitioner.

10. The following additional points should be observed :—

(a) that the candidates hearing in each ear is good and that there is no sign of disease of the ear. In case it is defective the candidate should be got examined by the ear specialist; provided that if the, defect in hearing is remediable by operation or by use of a hearing aid candidate cannot be declared unfit on that account provided he/she has no progressive disease in the ear. The following are the guidelines for the medical examining authority in this regard—

1	2	3
(1)	Marked or total deafness in one ear other ear being normal.	Fit for non-technical jobs if the deafness is upto 30 decibel in higher frequency
(2)	Perceptive deafness in both ears in which some improvement is possible by a hearing aid.	Fit in respect of both technical and non-technical jobs if the deafness is upto 30 decibel in speech frequencies of 1000 to 4000.
(3)	Perforation of tympanic membrane of Central or marginal type.	(i) one ear normal other ear perforation of tympanic membrane present—Temporarily unfit. Under improved Conditions of Ear Surgery a candidate with marginal or other perforation in both ears should be given a chance by declaring him temporarily unfit and then he may be considered under 4(ii) below.

1	2	3
		(ii) Marginal or attic perforation in both ears—Unfit.
		(iii) Central perforation both ears—Temporarily unfit.
(4) Ears with Mastoid cavity subnormal hearing on one side/on both sides.		(i) Either ear normal hearing other ear, Mastoid cavity—Fit for both technical and non-technical jobs.
		(ii) Mastoid cavity of both sides, Unfit for technical jobs—Fit for non-technical jobs if hearing improves to 30 decibels in either ear with or without hearing aid.
(5) Persistently discharging ear operated/unoperated.		Temporarily Unfit for both technical and non-technical jobs.
(6) Chronic inflammatory/ allergic conditions of nose with or without bony deformities of nasal septum.		(i) A decision will be taken as per circumstances of individual cases.
		(ii) If deviated nasal Septum is present with symptoms—Temporarily unfit.
7. Chronic inflammatory conditions of tonsils and/or Larynx.		(i) Chronic inflammatory conditions of tonsils and/or Larynx Fit.
		(ii) Hoarseness of voice of severe degree if present then Temporarily Unfit.
(8) Benign or locally malignant tumours of the E.N.T.		(i) Benign Tumours Temporarily—Unfit.
		(ii) Malignant Tumour—Unfit.
(9) Otosclarosis		If the hearing is within 30 decibels after operation or with the help of earing aid——Fit.
(10) Congenital defects of ear, nose or throat.		(i) If not interfering with functions—Fit.
		(ii) Stuttering of severe degree—Unfit,
(11) Nasal Poly		Temporarily Unfit.

(b) that his speech is without impediment;

(c) that his teeth are in good order and that he/she is provided with dentures where necessary for effective mastication (well filled teeth will be considered as sound);

(d) that the chest is well formed and his chest expansion sufficient; and that his heart and lungs are sound;

(e) that there is no evidence of any abdominal disease;

(f) that he is not ruptured;

(g) that he does not suffer from hydrocele, severe degree of varicocele, varicose vains or piles;

(h) that his limbs, hands, and feet are well formed and developed and that there is free and perfect motion of all his joints;

(i) that he does not suffer from any inveterate skin disease;

(j) that there is no congenital malformation or defect:

(k) that he does not bear traces of acute or chronic disease pointing to an impaired constitution;

(l) that he bears marks of efficient vaccination; and

(m) that he is free from communicable disease.

11. Radiographic examination of the chest should be done as a routine in all cases for detecting any abnormality of the heart and lungs which may not be apparent by ordinary physical examination.

When any defect is found it must be noted in that Certificate and the medical examiner should state his opinion whether or not it is likely to interfere with the efficient performance of the duties which will be required of the candidate.

NOTE.—Candidates are warned that there is no right of appeal from a Medical Board, special or standing appointed to determine their fitness for the above posts. If, however, Government are satisfied on the evidence produced before them of the possibility of an error of judgement in the decision of the first Board it is open to Government to allow an appeal to a second Board. Such evidence should be submitted within one month of the date of the communication in which the decision of the first Medical Board is communicated to the candidate otherwise no request for an appeal to a second Medical Board, will be considered.

If any medical certificate is produced by a candidate as a piece of evidence about the possibility of an error of judgement in the decision of the first Board, the certificate will not be taken into consideration unless it contains, a note by the medical practitioner concerned to the effect that it has been given in full knowledge of the fact that the candidate has already been rejected as unfit for service by the Medical Board.

Medical Board's Report

The following intimation is made for the guidance of the Medical Examiner

The standard of physical fitness to be adopted should make due allowance for the age and length of service, if any, of the candidate concerned.

No person will be deemed qualified for admission to the public service who shall not satisfy Government, or the appointing authority, as the case may be, that he has no disease constitutional affection or bodily infirmity unfitting him or likely to unfit him for that service.

It should be understood that the question of fitness involves future as well as the present and that one of the main objects of medical examination is to secure continuous effective service and in the case of candidates for permanent appointment to prevent early pension or payments in case of premature death. It is at the same time to be noted that the question is one of the likelihood of continuous effective service, and that rejection of a candidate need not be advised on account of the presence of a defect which in only a small proportion of cases is found to interfere with continuous effective service.

A lady doctor will be coopted as a member of the Medical Board whenever a woman candidate is to be examined.

Candidates appointed to the posts of Geologists (Jr.) and Assistant Geologists are liable for field service in or out of India. In the case of such a candidate the Medical Board should specifically record their opinion as to his fitness or otherwise for field service.

The report of the Medical Board should be treated as confidential.

In case where a candidate is declared unfit for appointment in the Government service, the grounds for rejection may be communicated to the candidate in broad terms without giving minute details regarding the defects pointed out by the Medical Board.

In cases where a Medical Board considers that a minor disability disqualifying a candidate for Government service can be cured by treatment (medical or surgical) a statement to that effect should be recorded by the Medical Board.

There is no objection to a candidate being informed of the Board's opinion to this effect by the appointing authority and when a cure has been affected it will be open to the authority concerned to ask for another Medical Board.

In the case of candidates who are to be declared Temporarily 'Unfit', period specified for re-examination should not ordinarily exceed six months at the maximum. On re-examination after the specified period these candidates should not be declared temporarily unfit for a further period but a final decision in regard to their fitness for appointment or otherwise should be given

(a) Candidate's statement and declaration.

The candidate must make the statement required below prior to his Medical Examination and must sign the Declaration appended thereto. His attention is specially directed to the Warning contained in the Note below :—

1. State your name in full (in block letters).....
.....

2. State your age and birth place .....
.....

3. (a) Do you belong to races such as Gorkhas, Garhwalis Assamese, Nagaland Tribals etc. whose average height is distinctly lower. Answer 'Yes' or 'No.' and if the answer is "Yes" state the name of the race.

(b) Have you ever had small-pox, intermittent or any other fever, enlargement or suppuration of glands, spitting of blood, asthma, heart disease, lung disease, fainting attacks, rheumatism, appendicitis.

(c) Any other disease or accident requiring confinement to bed and medical or surgical treatment ?

4. When were you last vaccinated ?

5. Have you suffered any form of nervousness due to overwork or any other cause ?

6. Furnish the following particulars concerning your family

Father's age, if living, and State of health	Father's age at death and cause of death	No. of brothers living, their ages and state of health	No. of brothers, dead their ages at and cause of death.

Mother's age if living, and state of health	Mother's age at death and cause of death	No. of sisters living, their ages and state of health	No. of sisters dead, their ages at and cause of death

7. Have you been examined by a Medical Board before ?

8. If answer to the above is 'Yes' please state what Services|posts you were examined for.

9. Who was the examining authority ?

10. When and where was the Medical Board held ?
....

1. Results of the Medical Board's examination, if communicated to you or if known : ....

I declare all the above answers to be the best of my belief, true and correct.

Candidate's Signature.....

Signed in my presence.

Signature of Chairman of the Board.

NOTE :—The candidate will be held responsible for the accuracy of the above statement. By wilfully suppressing any information he will incur the risk of losing the appointment and, if appointed, of forfeiting all claims of superannuation allowance or Gratuity.

(b) Report of the Medical Board on (Name of candidate) physical examination.

1. General development : Good ..... Fair ..... Poor .....

Nutrition : Thin ..... Average ..... Obese.....

Height (without shoes) ..... Weight .....

Any recent change in weight .....

Temperature .....

Girth of Chest :—

(1) (After full inspiration) .....

(2) (After full expiration) .....

2. Skin : any obvious disease .....

3. Eyes .....

(1) Any disease.....

(2) Night blindness .....

(3) Defect in colour vision.....

(4) Field of Vision .....

(5) *Fundus Examination* .....

(6) Visual Acuity .....

(7) Ability for stereoscopic fusion.....

Acuity of vision	Naked eye	With glasses	Strength of glasses sph. cy.
Distant Vision RE			
LE			
Near Vision RE			
LE			
Hypermetropia (Manifest) RE			
LE			

4. Ears : Inspection ..... Hearing : Right Ear ....Left Ear.....

5. Glands.....Thyroid

6. Condition of teeth.....

7. Respiratory system : Does physical examination reveal anything abnormal in the respiratory organs ?

If yes, explain fully.....

8. Circulatory system .....

(a) Heart and organic lesions.....
Rate : Standing.....
After hopping 25 times.....
2 minutes after hopping.....

(b) Blood Pressure : Systolic ..... Diastolic .....

9. Abdomen : Girth .....

Tenderness .....

Hernia .....

(a) Palpable Liver ..... Spleen
Kidneys ..... : Tumours

(b) Haemorrhoids ..... Fistula

10. Nervous System : Indications of nervous or mental disabilities .....

11. Loco-Motor System : Any abnormality .....

12. Genito Urinary System : Any evidence of Hydrocele Varicocele, etc.

Urine Analysis :

(a) Physical appearance .....
(b) Sp. Gr. .....
(c) Albumen .....
(d) Sugar .....
(e) Casts .....
(f) Cells .....

13. Report of X-Ray Examination of Chest ....

14. Is there anything in the health of the candidate likely to render him unfit for the efficient discharge of his duties in the service for which he is a candidate .....

NOTE.—In case of a female candidate, if it is found that she is pregnant of 12 weeks standing or over, she should be declared temporarily unfit, vide regulation 9.

.....
.....

15. (a) For which services has the candidate been examined and found in all respects qualified for the efficient and continuous discharge of his duties and for which of them is he considered unfit ?

.....
.....

(b) Is the candidate fit for FIELD SERVICE ?

.....

NOTE.—The Board should record their finding under one of the following three categories :

(i) Fit

(ii) Unfit on account of .....

(iii) Temporarily unfit on account of..... .....

President.....
Member.....

Place.....

Date : .....

APPENDIX III

Brief particulars relating to the posts for which recruitment is being made through this examination.

1. *Geological Survey of India*

(1) Geologist (Junior) Group A—

(a) Candidates selected for appointment will be appointed on probation for a period of two years, which may be extended, if necessary.

(b) During the period of probation the candidates may be required to undergo such course of training and instructions and to pass such examinations and tests may be prescribed by the competent authority.

(c) Prescribed scales of pay in the Geological Survey of India.

(i) Geologist (Junior) (Junior Scale) Rs. 700—40—900—EB—40—1100—50—1300.

(ii) Geologist (Senior) (Senior Scale) Rs. 1100—50—1600.

(iii) Director (Geology) Rs. 1500—60—1800—100 2000.

(iv) Deputy Director General (Geology) Rs. 2250—125|2—2500.

(v) Senior Deputy Director General (Operations) Rs. 2500—125|2—2750.

(vi) Director General Rs. 3000 (fixed).

(d) Promotions to the higher grades of posts in the Department will be made in accordance with the recruitment rules subject to such modifications as may be made by Government from time to time.

(e) Conditions of service and leave and pension are those described in the Fundamental Rules and Civil Services Regulations respectively, subject to such modifications as may be made by Government from time to time.

(f) Conditions of Provident Fund are those laid down in the General Provident Fund (Central Services) Rules, subject to such modifications as may be made by Government from time to time.

(g) All officers of Geological Survey of India are liable for service in any part of India or outside India.

(2) Assistants Geologist Group B—

(a) Candidates selected for appointment will be appointed on probation for a period of two years which may be extended, if necessary.

(b) During the period of probation the candidates may be required to undergo such course of training and instructions and to pass such examinations and tests as may be prescribed by the competent authority.

(c) Prescribed scale of pay Rs. 650—30—740—35—810—EB—35—880—40—1000—EB—40—1200.

(d) Recruitment to the Cadre of Geologist (Group A—Junior Scale) will be made partly through the Union Public Service Commission competitive examination, and partly through DPC by promotion from the next lower grade of Assistant Geologist of the Geologist Survey of India in accordance with the recruitment rules subject to such modifications as may be made by Government from time to time.

(e) Conditions of service and leave and pension are those described in the Fundamental Rules and Civil Services Regulations respectively subject to such modifications as may be made by Government from time to time.

(f) Conditions of Provident Fund are those laid down in General Provident Fund (Central Services) Rules subject to such modifications as may be made by Government from time to time.

(g) Assistant Geologist are liable for service anywhere in India or outside India.

2. *Central Ground Water Board*

(1) Junior Hydrogeologist Group A—

(a) Candidates selected for appointment will be appointed on probation for a period of two years which may be extended, if necessary.

(b) Prescribed scales of pay in the Central Ground Water Board :—

(i) Junior Hydrogeologist—Rs. 700—40—900—EB—40—1100—50—1300.

(ii) Senior Hydrogeologist—Rs. 1100—50—1600.

(iii) Director—Rs. 1500—60—1800—100—2000.

(iv) Chief Hydrogeologist—Rs. 2250—125|2 2500.

(c) Promotions to the higher grades of posts in the Department will be made in accordance with the recruitment rules subject to such modifications as may be made by Government from time to time.

(d) Conditions of service and leave and pension are those described in the Fundamental Rules and Civil Services Regulations respectively, subject to such modifications as may be made by Government from time to time.

(e) Conditions of Provident Fund are those laid down in the General Provident Fund (Central Services) Rules, subject to such modification as may be made by Government from time to time.

(f) All Officers of Central Ground Water Board are liable for service in any part of India or outside India.

(2) Assistant Hydrogeologist, Group B—

(a) Candidates selected for appointment will be appointed on probation for a period of two years which may be extended, if necessary.

(b) Prescribed scale of pay—Rs. 650—30—740—35—810—EB—35—880—40—1000—EB—40—1200.

(c) Recruitment to the cadre of Junior Hydrogeologist (Group A) will be made partly through the Union Public Service Commission competitive examination and partly through D.P.C. by promotions from the next lower grade of Assistant Hydrogeologist of the Central Ground Water Board in accordane with the recruitment rules subject to such modifications as may be made by the Government from time to time.

(d) Conditions of service and leave and pension are those described in the Fundamental Rules and Civil Services Regulations respectively, subject to such modifications as may be made by Government from time to time.

(e) Conditions of Provident Fund are those laid down in General Provident Fund (Central Services) Rules subject to such modifications as may be made by Government from time to time.

(f) Assistant Hydrogeologists are liable for Service anywhere in India or outside India.

MINISTRY OF EDUCATION & CULTURE

(DEPARTMENT OF CULTURE)

New Delhi, the 4th September 1984

RESOLUTION

No. F.11-1|84-CR6.—The Ministry of Education & Culture, Department of Culture has|had for some time past, under consideration the question of merger of the two Gandhian institutions, Gandhi Darshan Samiti and Gandhi Smriti Samiti with a view to bring them under one administrative umbrella for the promotion of Mahatma Gandhi's ideals etc. To achieve this objective a new Society "Gandhi Smriti and Darshan Samiti" has been set-up with effect from 6th July, 1984, with the following composition :—

1.	The Prime Minister of India	.. Chairman
2.	Shri B. N. Pande, Governor of Orissa	.. Vice Chairman
3.	Minister-in-charge, Department of Culture	.. Member
4.	Mayor of Delhi	.. Member
5.	The Lt. Governor of Delhi	.. Member
6.	Commissioner, Municipal Corporation of Delhi	.. Member
7.	President, N.D.M.C.	.. Member
8.	Secretary, Ministry of Education	.. Member
9.	Secretary, Ministry of Works & Housing	.. Member
10.	Secretary (Expenditure, Ministry of Finance	.. Member
11.	Information Adviser to the Prime Minister	.. Member
12.	Chief Engineer, C.P.W.D., New Delhi zone	.. Member
13.	Eight members to be nominated by to the Prime Minister of India	.. Member
20.		
21.	Joint Secretary|Joint Educational Adviser, Department of Culture	Member Secretary
	Department of Culture	.. Secretary

2 The "Samiti" will meet at least once every year which shall be its annual meeting.

3. The functions of the Samiti will be as follows :—

(a) To acquire, maintain and preserve the historical material pertaining to Mahatma Gandhi;

(b) To keep "Gandhi Samriti & Darshan Samiti" open for public with such rules and regulations as are deemed suitable;

(c) To develop Gandhi Samriti & Darshan Samiti as a Museum personalia and to make efforts for projecting Gandhi Ji's message to students in schools and colleges;

(d) To permit merger of any Society or public body anywhere in India dedicated to the activities of Gandhian Philosophy, etc.;

(e) To preserve *important relics of Gandhi ji;*

(f) Committees or sub-Committees to carry out the objectives of the Samiti;

(g) To delegate the necessary powers to any of the Committees or sub-Committees constituted by the Samiti; and

(h) To make rules, regulations and bye-laws for the Samiti and to add, amend, vary or rescind the same from time to time:

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all the Ministries and Departments of the Government of India and all the State Governments and Union Territories.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

C. L. ANAND, Jt. Educational Adviser

MINISTRY OF IRRIGATION

New Delhi, the 31st August 1984

RESOLUTION

No. 18|1|80-Hindi.—In partial modification of this Ministry's Resolution No. 18|1|80-Hindi, dated 26th November, 1982 the entry against S. No. 8 is amended as under :—

Against S. No. 8 *for* "Sh. Ganpat Hiralal Bhagat, M.P. (Rajya Sabha) *read* "Sh. Shrikant Verma, M.P. (Rajya Sabha).

ORDER

ORDERED that a copy of this resolution be communicated to all State Governments and Union Territory Administrations, Prime Minister's Sectt. Cabinet Sectt., Deptt. of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Sectt., Rajya Sabha Sectt., Planing Commission, President's Sectt., Comptroller and Auditor General, Accountant General, Central Revenues and all the Ministries and Departments of the Government of India.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

A. P. SINH, Jt. Secy.

MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 10th September 1984

RESOLUTION

No. 83-TGIII|462|1.—The Central Bookstall Advisory Committee on Indian Railways set up under the resolution No. 83-TGIII|462|1 dated 26-5-1984 has since been reconstituted as under :—

Chairman

1. Dr. P. L. Malhotra
Director, National Council of Educational Research & Training, N.I.E. Campus, Shri Aurobindo Marg, New Delhi.

Members

2. Shri Jaipal Nangia
Head, Publication Department NCERT, New Delhi.

3. Shri M. A. Krishnamachari
Manager (Sales & Marketing) & Officer-in-charge, National Book Trust, India, Southern Regional Office, II Floor, Estern Wing Shopping Complex, Jayanagar, Bangalore-560011.

4. Shri Narinder Nath
Under Secretary to the Government of India, Ministry of Education & Culture (Department of Education) New Delhi.

Member-Secretary

5. Shri N. K. Choubey
Jt. Director, Traffic Comml. (G)II
Railway Board, New Delhi.

2. This is in partial modification of this Ministry's Resolution mentioned above.

3. The terms of Reference of the Committee shall remain the same as contained in the afore-said Resolution.

A. JOHARI, Secy.
Railway Board & ex-officio
Jt. Secretary to the Govt. of India

MINISTRY OF LABOUR & REHABILITATION

(DEPARTMENT OF LABOUR)

New Delhi, the 12th September 1984

No. Q-16012|2|83-WE.—In pursuance of Rule 3 (iii) read with Rule 4(iv) and (vi) of the Rules and Regulations of the Central Board for Workers Education, the Govt. of India hereby appoint Shri G. Sanjeeva Reddy, Vice-President INTUC, Hyderabad and Shri Tara Singh Viyogi, M.L.A., Gwalior as a member on the Central Board of Workers Education in place of Shri A. T. Bhosale, Vice-President, INTUC, Bombay and Shri B. K. Das, Director Institute for Miners' and Metal Workers Education, Calcutta respectively, from the date of issue of this Notification.

2. The following changes shall be made accordingly in the Ministry of Labour Notification No. Q-16012|3|79-WE dated 8th|15th May, 1981 published in the Gazette of India Part—I Section-1 :—

(i) For the existing entry viz :—

"14. Shri A. T. Bhosale,
Vice President, INTUC,
C|o Rashtriya Mill Mazdoor Sangh,
Bombay-400 012.

15. Shri B. K. Das, Director,
Institute for Miners' & Metal
Workers Education, Lajpatrai Sarani,
Calcutta-700 020."

(ii) The following entry should be substituted viz :—

"14. Shri G. Sanjeeva Reddy,
Vice President, INTUC
6|B, L.I.G.H., Barakatpura,
Hyderabad.

15. Shri Tara Singh Vijyogi, M.L.A.,
Shramshivir Tansen Marg,
Birlanagar, Gwalior."

CHITRA CHOPRA, Director

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI. 1984